62वीं वार्षिक रिपोर्ट
62nd Annual Report
2017-18

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	:	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	6
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	7
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	57
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	:	90
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	91
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	94
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	97
अनुसूची 2 से 22/Note 2 to 22	:	99
लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरण का भाग हैं (अनुसूची : 1)	:	121
Accounting Policies & Notes to Accounts Forming Part of Fiancial Statement (Note : 1)	:	121
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	142

निदेशक मंडल

श्री सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(01.07.2014 से 22.02.2018 तक)

श्री धर्म पाल, आई.ए.एस.
अतिरिक्त सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(22.02.2018 से)

डा. कविता गोटरू
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(30.09.2016 से 04.10.2017 तक)

श्री निरंजन लाल
निदेशक
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(04.10.2017 से)

श्री डी.पी. श्रीवास्तव
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(14.01.2016 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Sushil Kumar Lohani, IAS
Joint Secretary,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(From 01.07.2014 to 22.02.2018)

Shri Dharam Pal, IAS
Additional Secretary,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(w.e.f. 22.02.2018)

Dr. Kavitha Gotru
Director (FA),
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(From 30.09.2016 to 04.10.2017)

Shri Niranjan Lal
Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 04.10.2017)

Shri D.P. Srivastava
Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f.14.01.2016)

श्री अनिल कुमार वी. पाटिल
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(08.09.2016 से)

Shri Anilkumar V. Patil
Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f. 08.09.2016)

प्रमुख कार्यपालक

PRINCIPAL EXECUTIVES

मेजर विक्रम सिंह राणा
निदेशक (परिचालन)
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(04.12.2014 से 06.07.2017 तक)

Major Vikram Singh Rana
Director (Movement)
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(From 04.12.2014 to 06.07.2017)

श्रीमती रेखा शर्मा
उप सचिव (पी.एस.यू.) एवं सतर्कता
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(06.07.2017 से)

Smt. Rekha Sharma
Dy. Secretary (PSU) & Vig.
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 06.07.2017)

श्रीमती सिओन कोंगारी
सलाहकार

Smt. Sion Kongari
Advisor

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

Shri K.L. Rao
Officer on Special Duty

मुख्य कार्यपालक – एकक

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

श्री डी.डी. अधिकारी
प्रभारी, सिन्दरी एकक

Shri D.D. Adhikary
Incharge, Sindri Unit

श्री ए.एन. तिवारी
सलाहकार एवं प्रभारी, गोरखपुर एकक

Shri A.N. Tiwari
Advisor Cum-Incharge, Gorakhpur Unit

श्रीमती एम. एन. मलेश्वरी
प्रभारी, रामागुण्डम एकक

श्री डी. पांडा
प्रभारी, तलचर एकक

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा प्रभाग

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	–	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	–	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	–	तेलंगाना
तालचर एकक	–	ओडिशा
कोरबा प्रभाग	–	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	–	नोएडा (यू.पी.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर–III
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए–14, सेक्टर–1, नोएडा,
जिला–गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश–201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस.सी.वी. एण्ड कम्पनी एलएलपी
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

Smt. M.N. Maleshwari
Incharge, Ramagundam Unit

Shri D. Panda
Incharge, Talchar Unit

Shri R.L. Deshbhratar
Incharge, Korba Division

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	–	Jharkhand
Gorakhpur Unit	–	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	–	Telangana
Talcher Unit	–	Odisha
Korba Division	–	Chhatisgarh
Central Office	–	Noida (U.P.)

REGISTERED OFFICE

7, Intitutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201301

AUDITORS

M/s. SCV & Co. LLP
Chartered Accountants, New Delhi

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
सिंडीकेट बैंक

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मै. जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मैसर्स हम्मूराबी एण्ड सोलोमोन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India
Syndicate Bank

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi
M/s Hammurabi & Solomon, Advocates, New Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 62वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 19 नवम्बर, 2018 को दोपहर 12.00 बजे, कान्फ्रेंस रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

1. ''31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।''

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-

   ''भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित किया जाता है।''

बोर्ड के आदेश से
ह०/-
(निरंजन लाल)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : नवम्बर 15, 2018

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,
सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स एस.सी.वी. एण्ड कं. एलएलपी,
   सनदी लेखाकार,
   बी-41, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली-110017
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Monday, 19th November, 2018 at 12.00 Noon in the Conference Room, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business:-

1. "To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2018".

2. To consider, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

   "Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2018-2019 be fixed by the Board of Directors of the Corporation."

By Order of the Board

Sd/-
(Niranjan Lal)
Director (Finance)

Dated : November 15, 2018

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A Proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:
All Shareholders.

Copy to:-

1. M/s. SCV & Co. LLP
   Chartered Accountants,
   B-41, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017
2. Chairman, Audit Committee.

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2016-17 के 30.10 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2017-2018 में 113.95 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्त्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.27 करोड रूपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रूपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान जीएसटी, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 41.21 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 62nd Annual Report of the Company together with the audited accounts and the Auditors' Report for the year ended 31st March 2018.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company incurred a net Profit of Rs.113.95 Crore in 2017-2018 as against a net profit of Rs.30.10 crore during 2016-2017.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs.2739.27 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs.7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.41.21 crore by way of GST, Service Tax, Sales tax, Excise duty, Income tax, Customs duty, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year.

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए./कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाईयों को पुनरूज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, वर्तमान में चार इकाइयों का पुनरूज्जीवन हो रहा है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और उन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। वहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

8.0 कम्पनी का पुनरूज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के संस्तुति के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये और कम्पनी के सभी एककों में उपलब्ध विकसित आधारभूत संरचना को देखते हुए भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े उर्वरक एककों को पुनरूज्जीवित

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Government's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees. However, consequent upon the decision of CCEA/ Cabinet regarding revival of closed units of FCIL, four of the units are currently under revival.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.

8.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004, considering the large demand-supply gap of Urea in the country, and the availability of fully-developed infrastructure in all the units of the Company, Government of India felt that it is essential

करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत सरकार के निर्णय को सराहते हुये कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों के तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया था।

- पूर्णत: उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एककों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

  ''गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में ''सिद्धान्त रूप में'' निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरूज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये।''

- भारत सरकार ने वर्ष 2012 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी और आगे चलकर वर्ष 2015 में संशोधन किया।

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

एमपावर्ड कमेटी ऑफ सैकेट्रीस (ई.सी.ओ.एस.) की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरूज्जीवन के अन्य पारामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

to revive the closed fertilizer Units. The Hon'ble High Court of Delhi, where the Company Case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken into cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006.

- Considering the availability of fully-developed land along with water and power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:

  "decided 'in principle' to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas."

- Government of India approved new Investment policy for the Urea Sector in the year 2012 and subsequently amended the same in the year 2015.

CCEA Approval of ECOS Recommendation

On the recommendations of Empowered Committee of Secretaries (ECOS), CCEA approved on 4.8.2011 the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि निवल पूँजी को धनात्मक बनाया जा सके जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कम्पनी को पुनरूजीवित किया जा सके।

बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर

कम्पनी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों को बन्द करते समय सी.सी.ई.ए. के निर्णयों को लागू किया गया था। वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की हुई प्रति और लेखा परीक्षकों का धनात्मक निवल पूँजी का प्रमाण पत्र बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित किया गया था। बी.आई.एफ.आर. ने 27.6.2013 को सुनवाई में एफ.सी.आई.एल. को बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर करने का आदेश दिया है।

पुनरूज्जीवन की वर्तमान स्थिति
तलचर

1. सी.सी.ई.ए. की 4.8.2011 की मंजूरी के अनुसार तलचर एकक को 'नोमिनेशन आधार' से सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.), गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) और कोल इण्डिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है।

2. तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का निर्माण किया गया है। परियोजना के लिये भूमि तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये एफ.सी.आई.एल. को 10.99 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।

3. मै. पी.डी.आई.एल. को अमोनिया और यूरिया संयंत्र स्थापित करने के साथ ही कोयला गैसीफिकेशन तकनीक के चयन को अन्तिम रूप देने के लिए एल.

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of GoI loan & interest to make FCIL a positive net worth Company and to enable FCIL to take up the revival as approved by CCEA earlier.

Deregistration from BIFR

While closing the Annual Account of the Company for the year 2012-13, the decisions of CCEA were implemented. The audited copy of the Annual Account of 2012-13 along with certificate of positive net worth from the Auditors was submitted to BIFR. The Hon'ble BIFR in their hearing held on 27.6.2013 ordered for deregistration of FCIL from BIFR.

Present Status of revival
Talcher

1. Talcher Unit is being revived by PSUs, namely, Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF), Gas Authority of India Limited (GAIL) and Coal India Limited (CIL) on 'nomination basis' as approved by CCEA on 04.08.2011.

2. A JV Company, namely, Talcher Fertilizer Limited (TFL) has been formed. FCIL would get equity of 10.99% for providing land and infrastructure to the project.

3. M/s PDIL has been engaged by TFL for finalization of LSTK tenders for setting up Ammonia and Urea Plant as well as for

एस.टी.के. निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिये टी. एफ.एल. द्वारा लगाया गया है। यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

4. मै. टी.एफ.एल. द्वारा प्रारंभिक कार्यकलाप प्रारंभ कर दिये गये हैं।

रामागुण्डम

1. सी.सी.ई.ए. के दिनांक 4.8.2011 की मंजूरी के अनुसार रामागुण्डम एकक को नोमिनशन आधार से सार्वजनिक उपक्रमों, इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.) के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है।

2. रामागुण्डम फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का निर्माण किया गया है। परियोजना के लिये भूमि तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए एफ. सी.आई.एल. को 11 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।

3. परियोजना के लिये जीरो दिनांक 25.09.2015 थी।

4. परियोजना निर्माण उन्नत चरण में हैं और मार्च 2019 तक चालू होने की संभावना है।

5. सुविधा समझौता पर 23.03.2016 के हस्ताक्षर के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान लगभग 1284 एकड़ भूमि सहित स्थायी परिसम्पत्तियों को आर.एफ.सी.एल. को हस्तांतरित किया है। दिनांक 4.8.2011 और 9.5.2013 के सी.सी.ई.ए. की मंजूरी और सुविधा समझौता के अनुसार एन.एफ.एल. और ई.आई.एल. द्वारा इक्विटी में लगाने पर 11 प्रतिशत भाग के बराबर आर.एफ.सी.एल. इक्विटी शेयर इस प्रकार जारी करेगा कि संयुक्त उद्यम कम्पनी में एफ.सी.आई.एल. की

finalizing the selection of Coal Gasification Technology. The same has been finalized.

4. Initial site activities have been taken up by M/s. TFL.

Ramagundam

1. Ramagundam Unit is being revived by PSUs, namely, Engineers India Limited (EIL) and National Fertilizers Limited (NFL) on 'nomination basis', as approved by CCEA on 4.8.2011.

2. The Joint Venture Company, namely, Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited (RFCL) has been formed. FCIL would get equity of 11% for providing land and Infrastructure to the project.

3. Zero date for the project was 25.9.2015.

4. Project construction is in an advanced stage and is likely to be commissioned by March 2019.

5. During the year, the Company handed over the Fixed Assets including land measuring approx.1284 acre to RFCL pursuant to signing of Concession Agreement on 23.3.2016. In terms of CCEA approvals dated 4.8.2011 & 9.5.2013 and the Concession Agreement, RFCL has to issue equity shares of RFCL equivalent to 11% of equity portion of the infusion of equity by NFL & EIL, such that the equity

इक्विटी होल्डिंग परियोजना के व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के समय परियोजना के पूँजी व्यय का 11 प्रतिशत इक्विटी भाग होगी। इस प्रकार वर्ष के दौरान आर.एफ.सी.एल. ने 10/- रूपये प्रत्येक के (92,51,62,910/- रूपये के) 9,25,16,291 इक्विटी शेयर एफ.सी.आई.एल. को जारी किये हैं। कम्पनी ने इसे चालू निवेश नहीं के अंतर्गत दर्शाया है। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के समय परियोजना के पूँजी व्यय को इक्विटी भाग का 11 प्रतिशत के अनुसार अन्य प्रमोटरों से इक्विटी पूँजी राशि प्राप्त होने के पश्चात आर.एफ.सी.एल. द्वारा बकाया इक्विटी शेयर जारी किये जायेंगे।

holding of FCIL in the JVC will be 11% of the equity portion of capital expenditure of the project by the time of commencement of commercial production of the project. Accordingly, during the year, RFCL has issued 9,25,16,291 nos. of equity shares of Rs.10 each (i.e. Rs.92,51,62,910.00 to FCIL). The company has shown it under non-current investment. The balance of equity shares to be issued as per 11% of equity portion of the capital expenditure of the project by the time of commencement of commercial production of the project shall be issued by RFCL on receipt of equity capital amount from other promoters.

गोरखपुर और सिन्दरी एकक

1. गोरखपुर और सिन्दरी एककों को नोमिनेशन आधार से सार्वजनिक उपक्रमों, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.), कोल इण्डिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिये 13.07.2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और पुनरूद्धार के प्रगति पर दृष्टि रखने के लिये इन्टर मिनिस्टीरियल कमेटी (आई.एम.सी.) का गठन किया गया है।

2. इस प्रकार संयुक्त उद्यम कम्पनी, हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) का गठन किया गया है। परियोजना के लिये भूमि तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये एफ.सी.आई.एल. को 10.99 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।

Gorakhpur & Sindri Units

1. Cabinet on 13.07.2016 approved revival of Gorakhpur and Sindri Units on 'nomination basis' by PSUs, namely, National Thermal Power Corporation (NTPC), Coal India Limited (CIL) and Indian Oil Corporation Limited (IOCL) and constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to monitor the progress of revival.

2. Accordingly, a Joint Venture Company, namely, Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) has been incorporated. FCIL would get an equity of 10.99% for providing land and infrastructure to the project.

3. एच.यू.आर.एल. ने परियोजना के लिये पी.डी.आई.एल. को परामर्शदाता नियुक्त किया है।

4. दोनो स्थानों पर गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र लगाने के लिये एच.यू.आर.एल. द्वारा परियोजना से पूर्व के कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये है।

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2017-2018 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग माना जाता है। श्रीमती रेखा शर्मा, निदेशक, उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करती हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न रोकथाम के उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

3. M/s PDIL has been appointed as Consultant for the projects by HURL.

4. Pre-project activities for gas-based Urea Plants at both the places have been taken up by HURL.

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2017-18

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Smt. Rekha Sharma, Director, Department of Fertilizers, is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. She provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meagre staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programmes and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

31.3.2018 को कर्मचारियों की संख्या 4 है। ये कर्मचारी कम्पनी के पुनरूज्जीवन गतिविधि के साथ-साथ निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.

The staff strength as on 31.3.2018 is 04. The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations of the Company, apart from revival activities of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 EMPLOYMENT OF SCs / STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company, there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was 'nil' during the year.

14.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिये मै. एस.सी.वी एण्ड कम्पनी एलएलपी को सी.ए.जी. द्वारा संविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिये कम्पनी के लेखों पर एक रिपोर्ट दी है।

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष 2017-18 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अनुलग्नक में संलग्न है।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि:-

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बडी विभिन्नता की स्थिति में उचित

14.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of your company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. SCV & CO LLP was appointed as statutory auditors for the financial year 2017-18.

15.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The statutory auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2017-18.

16.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Accounts have been submitted to Comptroller and Auditor General of India for review under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013. Comments of CAG for the year 2017-18 are enclosed at Annexure.

17.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

17.1 Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2018; the applicable accounting

स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का और विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

कम्पनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखनें में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लेखों को ''चालू उद्यम'' के आधार पर बनाया गया है।

17.2 वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

जैसाकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार आवश्यक है, अनुलग्नक-1, में एम.जी.टी.-9 में वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष इस वार्षिक रिपोर्ट प्रारूप का हिस्सा है।

standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such Accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

The accounts for the financial year 2017-18 have been prepared on "Going Concern" basis.

17.2 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As required, pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule 2014, an extract of Annual Return in MGT 9 is a part of this Annual Report format at Annexure-I.

18.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्री सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस., अ.प्र.नि. (डी.आईएन.-06912948)	1.7.2014	22.2.2018
2. श्री धर्म पाल, आई.ए.एस., अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-02354549)	22.02.2018	अब तक
3. डा. कविता गोटरू, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07639190)	30.09.2016	4.10.2017
4. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4.10.2017	अब तक
5. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (डी.आई.एन.-06433221)	14.1.2016	अब तक
6. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	8.9.2016	अब तक

18.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 में निदेशक मंडल की 4 तथा लेखा परीक्षा समिति की 2 बैठकें हुई। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

नाम	**निदेशक मंडल की बैठकें**	**लेखा परीक्षा समिति की बैठकें**
1. श्री सुशील कुमार लोहानी अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-06912948)	4	-
2. श्री धर्म पाल, अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-02354549)	-	-
3. डा. कविता गोटरू, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07639190)	1	-

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Sushil Kumar Lohani, IAS, C&MD (DIN-06912948)	01.07.2014	22.02.2018
2. Shri Dharam Pal, IAS, C&MD (DIN-02354549)	22.02.2018	Till date
3. Dr. Kavitha Gotru, Director (Finance) (DIN-07639190)	30.09.2016	04.10.2017
4. Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	04.10.2017	Till date
5. Shri D.P. Srivastava, Director (DIN-06433221)	14.01.2016	Till date
6. Shri Anil Kumar V. Patil, Director (DIN-07039255)	08.09.2016	Till date

18.1 There were 4 meetings of Board of Directors and 2 meetings of Audit Committee during the financial year 2017-18. The details of meetings that the Directors attended are given below:

Name	**Board Meetings**	**Audit Committee Meetings**
1. Shri Sushil Kumar Lohani, C&MD (DIN-06912948)	4	-
2. Shri Dharam Pal, C&MD (DIN-02354549)	-	-
3. Dr. Kavitha Gotru, Director (Finance) (DIN-07639190)	1	-

4. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	2	1
5. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (डी.आई.एन.-06433221)	4	2
6. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	2	1

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 177 ''लेखा परीक्षा समिति'' जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 10.10.2017 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक	–	अध्यक्ष
3. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक	–	सदस्य
2. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त)	–	सदस्य

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों

4. Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	2	1
5. Shri D.P. Srivastava, Director (DIN-06433221)	4	2
6. Shri Anil Kumar V Patil, Director (DIN-07039255)	2	1

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 2013, a new section 177, i.e., "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL, being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been re-constituted by the Board on 10.10.2017 comprising of the following Directors:

1. Shri Anilkumar V Patil, Director	-	Chairman
2. Shri D.P. Srivastava, Director	-	Member
3. Shri Niranjan Lal, Director (Finance)	-	Member

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments

को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा निगम के कर्मचारियों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-
(निरंजन लाल)
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन-07965269)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees of the Company for their valued cooperation and support.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Niranjan Lal)
Director (Finance)
(DIN-07965269)

Place : New Delhi
Dated : 12th September, 2018

ANNEXURE-I

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2018

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN	:	U74899DL1961GOI003439
ii)	Registration Date	:	24.04.1961
iii)	Name of the Company	:	Fertilizer Corporation of India Limited
iv)	Category/Sub-Category of the Company	:	Limited by shares - Union Govt. Company
v)	Address of the Registered Office and contact details	:	7, Institutional Area, Core III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
vi)	Whether listed company	:	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any.	:	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, IFCI Tower, 4th Floor, Nehru Place, New Delhi-110019.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Urea	ITC Code 31021000 when Plants were in operation	
2	Ammonium Nitrate	ITC Code 31023000 when Plants were in operation	

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

SL. NO.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDIG/SUBSIDIARY /ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	Fertilizer Corporation of India Limited	U74899DL 1961GOI003439	Private Company	100% by GOI	Section 3(1) (iii) Companies Act 1956

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters **(1) Indian** g) Individual/ HUF h) Central Govt i) State Govt (s) j) Bodies Corp. k) Banks / FI l) Any Other…. **Sub-total (A) (1):-** **(2) Foreign** a) NRIs - Individuals b) Other – Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other….	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sub-total (A) (2):- **Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)**	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

B. Public Shareholding **1.Institutions** a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify) **Sub-total (B)(1):-** **2. Non- Institutions** a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual share holders holding nominal share capital upto Rs.1 lakh ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh c) Others (specify) **Sub-total (B)(2):-** Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2) C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs **Grand Total (A+B+C)**	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year				% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	Share transferred in the name of:	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	S.K. Lohani	1	0.000014	Nil	Dharam Pal	one	0.000014	Nil	Nil
2	R.S. Yadav	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
3	Neeraj Singhal	1	0.000014	Nil	Rekha Sharma	one	0.000014	Nil	Nil
4.	D.P. Srivastava	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
5.	Sanjay Srivastava	1	0.000014	Nil	A. Sahoo	one	0.000014	Nil	Nil
6.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
7.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014		
8.	President of India	7509232	99.99	Nil	-	7509232	99.99	Nil	Nil
	Total	7509239	**100**	Nil	-	7509239	**100**	Nil	Nil

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	7509239 of Rs.1000/- each	100%	7509239 of Rs. 1000/- each	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Please refer Sl. No. ii above shareholding of promoters			
	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	At the beginning of of the year	Shri S.K. Lohani C&MD	0.000014		
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	S.K. Lohani	One	0.000014		
	At the beginning of of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year	One	0.000014	One	0.000014

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Total (i+ ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year · Addition · Reduction				
Net Change Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount
		Sh. S.K. Lohani, C&MD w.e.f. 01.07.2014 to 22.02.2018 and Sh. Dharam Pal C&MD w.e.f. 22.02.2018	Dr. Kavitha Gotru, Dir (Fin) w.e.f. 30.09.2016 to 04.10.2017 and Sh. Niranjan Lal w.e.f. 04.10.2017 WTD			
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of CMD of FCIL.	He/She is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of Dir. (F) of FCIL			Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	Nil	Nil			Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Nil	Nil			Nil

2.	Stock Option					
3.	Sweat Equity					
4.	Commission - as % of profit - others, specify…					
5.	Others, please specify					
	Total (A)					
	Ceiling as per the Act					

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration		Name of Directors			Total Amount
			----	----	---	
	3. Independent Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (1)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	4. Other Non-Executive Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (B)=(1+2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total Managerial Remuneration	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Overall Ceiling as per the Act	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	**Company Secretary**	**CFO**	**Total**
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A

	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A
2.	Stock Option	N.A	N.A	N.A	N.A
3.	Sweat Equity	N.A	N.A	N.A	N.A
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
B. DIRECTORS					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ANNEXURE-II

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 20.8.2018 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 20.8.2018) and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	
हमनें दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2018 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
Report on the Financial Statements	
We have audited the accompanying financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व	
इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित भारत में सामान्यत: मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है तथा अधिनियम की धारा	परिसम्पत्तियों के सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के रोकथाम तथा उनको पता लगाने के लिये, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी पर्याप्त लेखा रिकार्ड को रखती है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

133 में वर्णित लेखा मानकों के अन्तर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदयित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial

The Company is maintaining adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguards the assets and for preventing and detecting frauds and other irregularities.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.	
लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व	
हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमनें अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो बातें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित था, का पालन किया है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
हमनें अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानको में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं ।	
लेखा परीक्षा प्रक्रिया में धनराशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को उजागर करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट पूर्ण हो अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित है। इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

के प्रभाव के बारे में कि लेखापरीक्षा कार्य में कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षण के लिये जो प्रमाण हमने प्राप्त किये है उसके आधार पर वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा करके मत बनाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.	
अर्हक (क्वालीफाइड) मत के लिये आधार	
1. कम्पनी की वस्तुसूचियों को तुलन पत्र में 3054.42 लाख रूपये दिखाया गया है और प्रबंधन ने वस्तुसूचियों को कम से कम कीमत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर नहीं दर्शाया है, लेकिन वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की वस्तुसूचियों को मूल्य का 25 प्रतिशत दर्शाया गया है। तैयार माल की वस्तुसूचियों, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य स्टोर्स, ल्यूबीकैंट तथा मैडिकल स्टोर्स के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है केवल प्लैटिनम को छोडकर जो कि लागू लेखा मानक 2 ''वस्तुसूचियों का मूल्यांकन,'' अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें। उपर्युक्त व्यवहार का घटत/बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
4. Basis for Qualified Opinion	
1. The Company inventories are carried in the Balance Sheet at Rs.3054.42 (in lakhs) and the Management has not stated the inventories at lower of cost and net realisable value but has stated the inventory of raw materials, stores & spares at 25% of the cost without ascertaining the net realizable value of the inventories and 100% provision has been taken for inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, lubricants and medical stores except platinum which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 2 "Valuation of Inventories" notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.	These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence, no reply is called for.
2. 'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में, परिसम्पत्ति में छति से हानि को बहीमूल्य का 95 प्रतिश्त का प्रावधान किया गया है और यह निश्चित किये बिना कि मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति का कबाड़/वसूली योग्य मूल्य कितना होगा, अवशिष्ट मूल्य को बहीमूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है और कैपिटल स्टोर्स के लिये छति से हानि को परिसम्पत्ति के बहीमूल्य के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त व्यवहार का बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
2. In respect of 'Impairment of Assets', impairment loss has been provided at 95% of the book value of tangible fixed assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/ realizable value of the tangible fixed assets and for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets. The consequential impact of the above treatment due to excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
3. चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, प्रबंधन द्वारा पहचान नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और वर्ष में उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/प्रत्यक्ष उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है। उपर्युक्त व्यवहार का, वस्तुसूची में घटत/बढ़त के कारण और लाभ तथा अन्य संबंधित लेखों पर बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	सिन्दरी और कोरबा एककों में वस्तुसूचि गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और मूल्य पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है। सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति के अनुसार पुनरूज्जीवन कार्यकलापों के अंतर्गत अन्य एककों के वस्तुसूची का निपटान कर दिया गया है।
3. Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year has not been identified by the management. As per information provided, inventory godowns at the Company's Units remained sealed throughout the year and neither their physical inventory was done nor their realizable value was	Inventory godowns at the Sindri and Korba Units remained sealed throughout the year and value taken as it was in previous year. Inventory of other Units was disposed off as a part of revival activities as approved by CCEA.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability. The consequential impact of the above treatment due to short/excess of inventory and change in market value of inventory on profit and other related accounts could not be ascertained.	
4. तलचर एकक में भूमि और प्लान्टेशन को छोड़कर कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को सक्रिय उपयोग से मुक्त कर दिया गया है और निपटान के लिये रख दिया है। इनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन कराया गया है और इसके कारण तलचर एकक को निवल अर्जन/प्रभाव 1649.45 लाख रूपये (पिछले वर्ष 1782.71 लाख रूपये)(निवल का मूल्य ह्रास) को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लिया गया है (संदर्भ टिप्पणी एफ 8) यह लागू लेखा मानक ए एस 10 ''सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण'' से निकासी को निर्धारित करता है जो कि बताता है कि इन्हें निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम स्तर पर दर्शाया जाये। आगे, कम्पनी ने इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियाँ जो कि बिक्री/निपटान के लिये रखी .हैं को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है-संशोधित अनुसूची VI और स्थायी परिसम्पत्ति में लगातार दर्शाया गया है। निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों के निवल बही मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव पर पूनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
4. The Company fixed assets except land and plantation at Talcher have been retired from active use and are held for disposal. These had been re-valued during the financial year ended 31st March 2015 and the resultant net gain/effect of Rs. 1649.45 lakhs (Previous Year Rs. 1782.71 lakhs) (net of depreciation) had been taken to Revaluation Reserve in Balance Sheet. (Refer Note F.8). The same constitutes a departure from applicable Accounting Standard AS 10 "Property, Plant & Equipment" which states that these should be stated at the lower of their net book value and net realisable value. The Company has not classified fixed assets held for sale/disposal as current assets as per the Institute of Chartered Accountants Frequently Asked Questions (FAQs) – Revised Schedule VI and continue to show the same under fixed assets. The consequential impact due to revaluation at market price instead of net book value of fixed assets held for disposal on profit and other related accounts could not be ascertained.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास के लिये कम्पोनेन्ट लेखांकन अनिवार्य हो गया है। कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्यह्रास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण नहीं किया है। लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण न करने के कारण परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	अधिकतर परिसम्पत्तियाँ उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये रखी हैं तथा अवशिष्ट मूल्य पर हैं। फिर भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, उपयोग हो रही परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
5. During the year ended 31st March, 2016, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per Companies Act, 2013. The Company has not followed the mandatorily component accounting for depreciation of its fixed assets. The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.	Most of the assets are retired and held for disposal and kept at residual value. However, depreciation charged on the live assets wherever required.
6. जैसा कि टिप्पणी (एफ)(3) में संदर्भित है, पी.डी.आई.एल. और आर.एफ.सी.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया सहित ट्रेड प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियों, ट्रेड देय तथा अन्यों के संबंध में पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि न होने के कारण और अंतर की मात्रा, यदि कोई हो तो, के कारण और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	पी.डी.आई.एल. के साथ लेखों का मिलान किया जा रहा है।
6. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balance receivable from PDIL and RFCL as referred in Note (F) (3). The consequential impact of non-confirmation and the quantum of differences if any, and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.	Reconciliation of accounts with PDIL in under process.
7. ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक पर हमारी टिप्पणी पर संचयी प्रभाव के संबंध में अभिनिश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने कम्पनी के 31 मार्च 2018 तक के वर्ष के लिये लाभ और परिसम्पत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
7. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 6 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2018.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
अर्हक (क्वालीफाइड) मत हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार अर्हक मत के लिये आधार में ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, को छोड कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार मॉगी गयी जानकारी और 31 मार्च 2018 तक कम्पनी के कार्यकलापों का, उसके लाभ और नकद प्रवाह विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्राय: अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
Qualified Opinion In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 6 stated above,the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2018, its profit and its cash flows for the year ended on that date.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
मामले का जोर जैसाकि वित्तीय विवरण के नोट 9 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश के संबंध में कहा गया है, हम वित्तीय	नये बने संयुक्त उद्यमों में कम्पनी का केवल 11 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग है। अत: संयुक्त उद्यम कम्पनियों के आर्थिक गतिविधयों में कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

विवरण के नोट एफ-10 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जहाँ कि लेखा मानक ए एस 27 ''संयुक्त उद्यमो में रूचि की वित्तिय रिपोर्टिंग'' में प्रावधान है जो कि कम्पनी द्वारा लिये गये कानूनी राय के आधार पर है कि इन कम्पनियों के साथ समझौता के खंडो के अनुसार यह कम्पनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कम्पनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है अतः कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये हैं और लेखा मानक के अनुसार, जैसा कि नोट एफ-9 में बताया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।

इस विषय पर हमारे मत में संशोधन नही हुआ है।

Emphasis of Matter

Attention is drawn to Note F-09 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note 10 in the financial statements, does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Accounting Standard AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures', which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The Company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2018 and therefore have prepared its financial statements as per accounting standards as stated in the Note F-09.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

The Company has only 11% shareholding in newly formed Joint Ventures and hence does not exercise any control over the economic activities of the Joint Venture Companies.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट	
1. जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम 'अनुलग्नक क' के आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
Report on other Legal and Regulatory Requirements	
1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order.	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार आवश्यक है कंपनी के बहियों और रिकार्ड के जाँच के आधार पर, जैसा कि हमें उचित लगा और हमें दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और सह-निर्देश पर विचार किया है और हम अपनी रिपोर्ट 'अनुलग्नक ग' में दे रहे हैं।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
2. As required by section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we have considered the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India and give our report in the "Annexure C".	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की मॉग के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि-	
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:	
क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।	यह धारा 143 (3) के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग की जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर ए.क्यू.-3(क) से झ (iii) तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.	These are a reporting requirements for the auditors under section 143 (3) and therefore replies are not called for items at AQ (3) (a) to (i) (iii).
ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' मामले का जोर के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जॉचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।	
b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.	
ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।	
c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt	

with by this report are in agreement with the books of account.

घ. अर्हक मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय के संभावित प्रभाव को छोड़कर और इसे छोड़कर कि कम्पनी ने बीमांकक (एक्यूरियल) आधार की अपेक्षा सेवानिवृत्ति के लिये वास्तविक आधार पर प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मैथड से प्रावधान किया है जो कि लागू लेखा मानक 15 'कर्मचारियों को हितलाभ' से डिपार्चर को कान्सट्टीट्यूट करता है इसे अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें और लेखा मानक 15 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार आवश्यक प्रकटन को वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है। हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, के अनुसार है।

d. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis instead on actuarial basis on Projected Unit Credit Method which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 15 “Employee Benefits” notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and no mandatorily disclosures as per Accounting Standard ‘15’ ‘Employees Benefits’ has been given in the financial statements in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

च. केन्द्र सरकार के अधिसूचना संख्या : जीएसआर 463(ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) कि 'कोई निदेशक' निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य है, कम्पनी पर लागू नहीं होती।

f. The Company being a Government Company, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding 'whether any director is disqualified from being appointed as a director' is not applicable to the Company in view of Central Government Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05^{th} June, 2015.

छ. लेखों तथा अन्य संबंधित विषय के रखरखाव के क्वालीफिकेशन के संबंध में क्वालीफाइड मत के लिये आधार उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित है।

g. The qualification relating to the maintenance of accounts and other matter connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs above;

ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट को संदर्भित करता है।

h. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B"; and

झ. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा कर दिया है। संदर्भ वित्तीय विवरण का नोट-16.

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 16 to the financial statements;

ii. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses ;

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के दिनांक 20.8.2018 के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क' तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण
Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report Dated 20.8.2018 and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के सदस्यों को प्रस्तुत स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नकः	
The Annexure referred to in our Independent Auditor's Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended 31st March, 2018:	
1.क) कम्पनी ने निपटान के लिए रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों के कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुए हैं।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
i.(a) The Company has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including fixed assets retired and held for disposal except in some Units/Divisions where for certain items of fixed assets, particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/ Divisions, fixed asset records have not been updated.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units/Divisions except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units/ Divisions.

ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:

(c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However, the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the Company, are not in its name:

क) तलचर में, 7.780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रुप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
a) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same is still to be executed.	
ख) पुनरूद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्लू.पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन बही में और रिकार्ड में ठीक रूप से नहीं लिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।	
b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of quarters of 344 subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.	
ii. इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियाँ ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
ii. The physical verification of inventory was not conducted during the year. The Company Units are closed and inventories are held in lock-in-key. In the absence ofphysical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.
iii. हमें दी गई जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जाँच के आधार पर संरक्षित	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियो को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के पैराग्राफ 3 (iii)(क), 3(iii)(ख) और 3(iii) (ग) के आदेश लागू नहीं होते।	
iii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the paragraphs 3 (iii), 3 (iii)(a), 3 (iii)(b) and 3 (iii)(c) of the Order are not applicable to the company.	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.
iv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दिया है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है। तद्नुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है। कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के उपलब्ध प्रावधान के अनुसार रामागुंडम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में इक्विटी शेयर में निवेश किया है।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any loans, guarantees and security during the year which is covered under provisions of section 185 and	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the paragraph 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company. The Company has made investment in equity shares in Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd. during the year which is in compliance with the applicable provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.	
v. प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) का आदेश कम्पनी पर लागू नहीं होता।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
v. According to the information and explanations provided by the management, we are of the opinion that the Company has not accepted any deposits from public covered under section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. Accordingly, the paragraph 3(v) of the Order is not applicable to the Company.	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.
vi. जैसा कि कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और इस वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
vi. Since all the Units of the Company are closed and there was no production during the preceding financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.
vii.क)हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद संविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वेट, सेस तथा अन्य संविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल इस बात को छोड़ कर कि कम्पनी पार्टियो से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्चात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमश: सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रूपये का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखाबाहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नहीं किया गया मूल्यह्रास जमा नहीं किया गया है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2018 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि,	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अत: पैरा vii(क) से xvi पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-	
vii. a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with Central Government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of Service Tax Act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service Tax/ GST, the amount and period of delay in certain cases could not be reported and (b) Income tax payable on MAT for financial year 2015-2016 of Rs. 42.58 lakhs which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.	This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para vii(a) to xvi.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2018 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:

viii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं, बैंक, सरकार से डिबेन्चर धारकों का या ऋण या उधार से संबंधित देयता बकाया नहीं हैं। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (viii) लागू नहीं होता।

viii. According to the information and explanations given to us by the management, the Company did not have any outstanding dues in respect of debenture holders or loans or borrowings from financial institution, bank, and Government during the year. Therefore, the paragraph 3(viii) of the order is not applicable to the Company.

ix. वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव सहित ऋण इन्सटूमेंट और मियादी ऋण के द्वारा कम्पनी ने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं होता।

ix. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term loans

during the year. Therefore, the paragraph 3(ix) of the order is not applicable to the Company.

x. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा या कम्पनी के ऊपर इसके अधिकारियों द्वारा छल को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया।

x. According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

xi. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उसके निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान नहीं किया गया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xi) लागू नहीं होता।

xi. No managerial remuneration has been paid or provided by the Company to its Directors during the year. Therefore, the paragraph 3(xi) of the order is not applicable to the Company.

xii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता।

xii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable to the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

xiii. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, जहाँ लागू हो, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इस प्रकार के लेन-देन का ब्यौरा, जैसा कि लागू लेखा मानक की माँग है, के अनुसार वित्तीय विवरण में वर्णित किया गया है।

xiii. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरो का प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xiv) लागू नहीं होता।

xiv. According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable to the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
xv. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के साथ भारत सरकार की पूर्व अनुमति के अनुसार नकदी रहित लेन-देन किया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित है। कम्पनी का दावा है कि कथित लेन-देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत नहीं आती है। अत: साधारण बैठक में सदस्यों के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।	
xv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, during the year, the Company has entered into non-cash transaction with another public sector company referred to in section 192 of the Companies Act, 2013 as per prior approval of Government of India.The Company claims that the said transaction does not fall under section 192 of the Companies Act, 2013 and therefore prior approval of members in the general meeting is not necessary.	
xvi. कम्पनी का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 के धारा 45आई ए में पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है। अत: आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।	
xvi. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, paragraph 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमनें दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2018 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित भारत में सामान्यत: मान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है तथा अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों के अन्तर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदयित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

AUDITORS' REPORT

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो बातें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित था, का पालन किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानको में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया में धनराशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को उजागर करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट पूर्ण हो अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित है। इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन के प्रभाव के बारे में कि लेखापरीक्षा कार्य में कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमे विश्वास है कि लेखा परीक्षण के लिये जो प्रमाण हमने प्राप्त किये है उसके आधार पर वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा करके मत बनाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

अर्हक (क्वालीफाइड) मत के लिये आधार

1. कम्पनी की वस्तुसूचियों को तुलन पत्र में 3054.42 लाख रूपये दिखाया गया है और प्रबंधन ने वस्तुसूचियों को कम से कम कीमत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर नहीं दर्शाया है, लेकिन वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की वस्तुसूचियों को मूल्य का 25 प्रतिशत दर्शाया गया है। तैयार माल की वस्तुसूचियों, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य स्टोर्स, ल्यूबीकैंट तथा मैडिकल स्टोर्स के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है केवल प्लैटिनम को छोडकर जो कि लागू लेखा मानक 2 ''वस्तुसूचियों का मूल्यांकन,'' अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े।

   उपर्युक्त व्यवहार का घटत/बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. 'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में, परिसम्पत्ति में छति से हानि को बहीमूल्य का 95 प्रतिश्त का प्रावधान किया गया है और यह निश्चित किये बिना कि मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति का कबाड़/वसूली योग्य मूल्य कितना होगा, अवशिष्ट मूल्य को बहीमूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है और कैपिटल स्टोर्स के लिये छति से हानि को परिसम्पत्ति के बहीमूल्य के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

   उपर्युक्त व्यवहार का बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, प्रबंधन द्वारा पहचान नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में

Basis for Qualified Opinion

1. The Company inventories are carried in the Balance Sheet at Rs.3054.42 (in lakhs) and the Management has not stated the inventories at lower of cost and net realisable value but has stated the inventory of raw materials, stores & spares at 25% of the cost without ascertaining the net realizable value of the inventories and 100% provision has been taken for inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, lubricants and medical stores except platinum which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 2 "Valuation of Inventories" notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. In respect of 'Impairment of Assets', impairment loss has been provided at 95% of the book value of tangible fixed assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/ realizable value of the tangible fixed assets and for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

   The consequential impact of the above treatment due to excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year has not been identified by the management. As per

वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और वर्ष में उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/प्रत्यक्ष उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का, वस्तुसूची में घटत/बढ़त के कारण और लाभ तथा अन्य संबंधित लेखों पर बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. तलचर एकक में भूमि और प्लान्टेशन को छोड़कर कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को सक्रिय उपयोग से मुक्त कर दिया गया है और निपटान के लिये रख दिया है। इनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन कराया गया है और इसके कारण तलचर एकक को निवल अर्जन/प्रभाव 1649.45 लाख रूपये (पिछले वर्ष 1782.71 लाख रूपये)(निवल का मूल्य ह्रास) को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लिया गया है (संदर्भ टिप्पणी एफ 8) यह लागू लेखा मानक ए एस 10 ''सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण'' से निकासी को निर्धारित करता है जो कि बताता है कि इन्हें निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम स्तर पर दर्शाया जाये। आगे, कम्पनी ने इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियाँ जो कि बिक्री/निपटान के लिये रखी .हैं को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है-संशोधित अनुसूची VI और स्थायी परिसम्पत्ति में लगातार दर्शाया गया हैं।

निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों के निवल बही मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव पर पूनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एंव अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

information provided, inventory godowns at the Company's Units remained sealed throughout the year and neither their physical inventory was done nor their realizable value was ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess of inventory and change in market value of inventory on profit and other related accounts could not be ascertained.

4. The Company fixed assets except land and plantation at Talcher have been retired from active use and are held for disposal. These had been re-valued during the financial year ended 31st March 2015 and the resultant net gain/effect of Rs. 1649.45 lakhs (Previous Year Rs. 1782.71 lakhs) (net of depreciation) had been taken to Revaluation Reserve in Balance Sheet. (Refer Note F.8). The same constitutes a departure from applicable Accounting Standard AS 10 "Property, Plant & Equipment" which states that these should be stated at the lower of their net book value and net realisable value. The Company has not classified fixed assets held for sale/disposal as current assets as per the Institute of Chartered Accountants Frequently Asked Questions (FAQs) – Revised Schedule VI and continue to show the same under fixed assets.

The consequential impact due to revaluation at market price instead of net book value of fixed assets held for disposal on profit and other related accounts could not be ascertained.

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास के लिये कम्पोनेन्ट लेखांकन अनिवार्य हो गया है। कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्यह्रास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण नहीं किया है।

   लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण न करने के कारण परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

6. जैसा कि टिप्पणी (एफ)(3) में संदर्भित है, पी.डी.आई.एल. और आर.एफ.सी.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया सहित ट्रेड प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियों, ट्रेड देय तथा अन्यों के संबंध में पुष्टि नहीं हुई है।

   पुष्टि न होने के कारण और अंतर की मात्रा, यदि कोई हो तो, के कारण और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

7. ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक पर हमारी टिप्पणी पर संचयी प्रभाव के संबंध में अभिनिश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने कम्पनी के 31 मार्च 2018 तक के वर्ष के लिये लाभ और परिसम्पत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

अर्हक (क्वालीफाइड) मत

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार अर्हक मत के लिये आधार में ऊपर पैराग्राफ 1 से 6 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, को छोड़ कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार माँगी गयी जानकारी और 31 मार्च 2018 तक कम्पनी के कार्यकलापों का, उसके लाभ और नकद प्रवाह विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते

5. During the year ended 31st March, 2016, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per Companies Act, 2013. The Company has not followed the mandatorily component accounting for depreciation of its fixed assets.

   The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

6. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balance receivable from PDIL and RFCL as referred in Note (F) (3).

   The consequential impact of non-confirmation and the quantum of differences if any, and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

7. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 6 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2018.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 6 stated above,the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state

है और भारत में प्राय: अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

मामले का जोर

जैसाकि वित्तीय विवरण के नोट 9 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश के संबंध में कहा गया है, हम वित्तिय विवरण के नोट एफ-10 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जहाँ कि लेखा मानक ए एस 27 ''संयुक्त उद्यमो में रूचि की वित्तिय रिपोर्टिंग'' में प्रावधान है जो कि कम्पनी द्वारा लिये गये कानूनी राय के आधार पर है कि इन कम्पनियों के साथ समझौता के खंडो के अनुसार यह कम्पनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कम्पनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है अत: कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तिय विवरण तैयार नही किये हैं और लेखा मानक के अनुसार, जैसा कि नोट एफ-9 में बताया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।

इस विषय पर हमारे मत में संशोधन नही हुआ है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार आवश्यक है कंपनी के बहियों और रिकार्ड के जाँच के आधार पर, जैसा कि हमें उचित लगा और हमें दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और सह-निर्देश

of affairs of the Company as at 31st March, 2018, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

Attention is drawn to Note F-09 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note 10 in the financial statements, does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Accounting Standard AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures', which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The Company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2018 and therefore have prepared its financial statements as per accounting standards as stated in the Note F-09.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we have considered the directions and sub-directions

पर विचार किया है और हम अपनी रिपोर्ट 'अनुलग्नक ग' में दे रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की मॉग के अनुसार हम रिपोर्ट करते है कि-

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' मामले का जोर के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जॉचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ. अर्हक मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय के संभावित प्रभाव को छोडकर और इसे छोड़कर कि कम्पनी ने बीमांकक (एक्यूरियल) आधार की अपेक्षा सेवानिवृत्ति के लिये वास्तविक आधार पर प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मैथड से प्रावधान किया है जो कि लागू लेखा मानक 15 'कर्मचारियो को हितलाभ' से डिपार्चर को कान्सट्रीटयूट करता है इसे अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढे और लेखा मानक 15 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार आवश्यक प्रकटन को वित्तीय विवरण में नही दिया गया है। हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े, के अनुसार है।

issued by the Comptroller and Auditor General of India and give our report in the "Annexure C".

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

d. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis instead on actuarial basis on Projected Unit Credit Method which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 15 "Employee Benefits" notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and no mandatorily disclosures as per Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' has been given in the financial statements in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

च. केन्द्र सरकार के अधिसूचना संख्या : जीएसआर 463(ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) कि 'कोई निदेशक' निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य है, कम्पनी पर लागू नही होती।

छ. लेखों तथा अन्य संबंधित विषय के रखरखाव के क्वालीफिकेशन के संबंध में क्वालीफाइड मत के लिये आधार उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित है।

ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट को संदर्भित करता है।

झ. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा कर दिया है। संदर्भ वित्तीय विवरण का नोट-16.

ii. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नही थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।

e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

f. The Company being a Government Company, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding 'whether any director is disqualified from being appointed as a director' is not applicable to the Company in view of Central Government Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June, 2015.

g. The qualification relating to the maintenance of accounts and other matter connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs above;

h. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B"; and

i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 16 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses ;

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नही थी।

कृते मै० एस.सी.वी. एण्ड कं. एल.एल.पी.,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 000235एन/एन500089
ह०/–
(राजीव पुरी)
भागीदार
सदस्यता सं : 084318

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 20, 2018

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000235N/N500089
Sd/-
(Rajiv Puri)
Partner
Membership No. 084318

Place : New Delhi
Dated : 20th August, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के सदस्यों को प्रस्तुत स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक:

i.क) कम्पनी ने निपटान के लिए रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों के कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ एकको/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुए हैं।

ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग मे नहीं है और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अत: हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:

क) तलचर में, 7.780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रुप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

Annexure "A" to the Independent Auditor's Report

The Annexure referred to in our Independent Auditor's Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended 31st March, 2018 :

i. (a) The Company has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including fixed assets retired and held for disposal except in some Units/ Divisions where for certain items of fixed assets, particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/Divisions, fixed asset records have not been updated.

(b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units/Divisions except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units/Divisions.

(c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However, the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the Company, are not in its name:

a) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same is still to be executed.

ख) पुनरूद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्लू.पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन बही में और रिकार्ड में ठीक रूप से नहीं लिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

ii. इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियाँ ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जॉंच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियो को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के पैराग्राफ 3 (iii)(क), 3(iii)(ख) और 3(iii) (ग) के आदेश लागू नहीं होते।

iv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दिया है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है। तद्नुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कम्पनी पर लागू नही होता कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के उपलब्ध प्रावधान के अनुसार रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में इक्विटी शेयर में निवेश किया है।

b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of quarters of 344 subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

ii. The physical verification of inventory was not conducted during the year. The Company Units are closed and inventories are held in lock and key. In the absence ofphysical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

iii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the paragraphs 3 (iii), 3 (iii)(a), 3 (iii)(b) and 3 (iii)(c) of the Order are not applicable to the company.

iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any loans, guarantees and security during the year which is covered under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the paragraph 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company. The Company has made investment in equity shares in Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd. during the year which is in compliance with the applicable provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.

v. प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) का आदेश कम्पनी पर लागू नहीं होता।

vi. जैसा कि कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और इस वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं हैं।

vii.क)हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद संविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वेट, सेस तथा अन्य संविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल इस बात को छोड़ कर कि कम्पनी पार्टियो से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्चात सेवा कर और कुछ मामलो में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रूपये

v. According to the information and explanations provided by the management, we are of the opinion that the Company has not accepted any deposits from public covered under section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. Accordingly, the paragraph 3(v) of the Order is not applicable to the Company.

vi. Since all the Units of the Company are closed and there was no production during the preceding financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

vii. a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with Central Government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of Service Tax Act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service Tax/ GST, the amount and period of delay in certain cases could not be reported and (b) Income tax payable on MAT for financial

का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखाबाहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नही किया गया मूल्यह्रास जमा नही किया गया है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2018 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

year 2015-2016 of Rs. 42.58 lakhs which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2018 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:

सांविधिक का नाम **Name of statues**	**देयता का प्रकार** **Nature of due**	**राशि (लाख रूपये)** **Amount (Rs. in Lakhs)**	**अवधि** **Period**	**नियत दिनांक** **Due date**	**जमा करने का दिनांक** **Date of deposit**	**टिप्पणी** **Remarks**
आयकर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	वर्ष 2017–18 के लिए आयकर तिमाही किस्त Income tax Quarterly Instalment for FY 2017-18	1306.31 1306.31	सितम्बर 2017 September, 2017	सितम्बर 15, 2017 Sept 15, 2017	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.01 2.01	पुराना बकाया Old outstanding	उपलब्ध नहीं N.A	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्षों में किया गया है। provision of services tax made in earlier years.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.60 1.60	अगस्त 2015 Aug 2015	सितम्बर 2015 Sept 2015	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.

वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.39 1.39	सितम्बर Sept	अक्टूबर 2015 Oct 2015	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नही किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.11 2.11	पुराना बकाया Old outstanding	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्षो में किया गया। Provision of services tax made in earlier years.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.63 2.63	वित्त वर्ष 2015–16 F.Y. 2015-2016	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.09 1.09	वित्त वर्ष 2015–16 F.Y. 2015-2016	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	3.16 3.16	वित्त वर्ष 2016–17 F.Y. 2016-2017	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोदभवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.517 0.517	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.517 0.517	जुलाई 2017 July-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.517 0.517	जुलाई 2017 July-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.062 0.062	जुलाई 2017 July-2017	उपलब्ध नहीं। N.A	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर ब्याज Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.054 0.054	अगस्त 2017 Aug-2017	उपलब्ध नहीं। N.A	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर ब्याज Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.047 0.047	सितम्बर 2017 Sep-2017	उपलब्ध नहीं। N.A	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर ब्याज Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.12 0.12	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.13 0.13	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.13 0.13	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.87 0.87	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	किराया पर जीएसटी GST on Rental

आय कर अधिनियम Income Tax Act	टीसीएस (गोरखपुर) TCS (Gorakhpur)	0.186 0.186	अप्रैल 2017 Apr-2017	जुलाई 05, 2017 05th July 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	टीसीएस TCS
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	5.09 5.09	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	580.00 580.00	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chhattisgarh Nagar Palika Act 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	5.34 5.34	2015-16 2015-16		अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chhattisgarh Nagar Palika Act 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	5.34 5.34	2016-17 2016-17		अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
म0प्र0 सरकार वन संवृद्धि प्रतिपूर्ति M.P. govt. forest growth compensation	प्रतिपूर्ति (कोरबा) Compensation (Korba)	8.66 8.66	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
सामान्य प्रशासन कोरबा Local Authority Korba	भूमि राजस्व Land Revenue	3.52 3.52	2002-03 2002-03	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Korba)	0.11 0.11	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Korba)	0.11 0.11	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Korba)	0.11 0.11	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
नोएडा प्रशासन Noida Authority	जुर्माना प्रभार Penal charges	34.20 34.20	पुराना Old	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
नोएडा प्रशासन Noida Authority	जुर्माना प्रभार Penal charges	21.19 21.19	पुराना Old	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
नोएडा प्रशासन Noida Authority	जुर्माना प्रभार Penal charges	4.26 4.26	2015–16 2015-16	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
नोएडा प्रशासन Noida Authority	जुर्माना प्रभार Penal charges	4.26 4.26	2016–17 2016-17	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.) Goods and Services Tax (H.O)	0.68 0.68	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 17	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.) Goods and Services Tax (H.O)	0.68 0.68	अगस्त 2017 Aug-2017	20 सितम्बर 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.) Goods and Services Tax (H.O)	0.69 0.69	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.) Goods and Services Tax (H.O)	0.17 0.17	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	रिवेन्यू Revenue
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.) Goods and Services Tax (H.O)	0.18 0.18	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	रिवेन्यू Revenue
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (एच.ओ.) Goods and Services Tax (H.O)	0.18 0.18	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	रिवेन्यू Revenue
आय कर अधिनियम Income Tax Act	आय कर Income Tax	4.23 4.23	2016–17 2016-17	उपलब्ध नहीं N.A	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.26 0.26	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.27 0.27	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.27 0.27	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.012 0.012	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (वैधानिक) Reverse Charge on GST (legal)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.013 0.013	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (वैधानिक) Reverse Charge on GST (legal)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.013 0.013	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (वैधानिक) Reverse Charge on GST (legal)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.042 0.042	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (पंजीकृत नहीं) Reverse Charge on GST (Unregistered)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.042 0.042	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (पंजीकृत नहीं) Reverse Charge on GST (Unregistered)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (तलचर) Goods and Services Tax (Talcher)	0.042 0.042	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज (पंजीकृत नहीं) Reverse Charge on GST (Unregistered)

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम) Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.26 0.073	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम) Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073 0.073	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम) Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073 0.073	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।
N.A. means : Not available

ख) हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट को कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया है, केवल निम्नलिखित को छोड कर:-

b) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute except the followings :

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	**देयता का प्रकार** **Nature of dues**	**राशि (लाख रूपये)** **Amount (Rs. in Lakhs)**	**जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है।** **Period to which amount relates**	**फोरम जहाँ विवाद लांबित है** **Forum where dispute is pending**
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act,1961	आय कर की माँग Income Tax Demand	414657.92 414657.92	निर्धारण वर्ष 2013-14 A.Y. 2013-14	आईटीएटी, नई दिल्ली ITAT, New Delhi
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	विदेशी तकनीशियन पर आय कर की माँग Income Tax Demand on Foreign Technician	19.14 19.14	उपलब्ध नहीं N.A.	दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court

आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act,1961	आय कर की माँग Income Tax demand	267.10 267.10	निर्धारण वर्ष 2014-15 A.Y. 2014-15	आय कर आयुक्त (अपील) 11, नई दिल्ली के निदेश पर निर्धारण अधिकारी Assessing Officer on direction of The Commissioner of Income Tax (Appeals)-11 New Delhi
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	164.53 164.53	उपलब्ध नहीं N.A	उत्पाद शुल्क आयुक्त (पटना) Commissioner of Excise (Patna)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	107.70 107.70	2004-05 2004-05	सीईएसटीएटी, कोलकता CESTAT Kolkata
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	208.13 208.13	2004 2004	सीईएसटीएटी, कोलकता CESTAT Kolkata
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	25.64 25.64	उपलब्ध नहीं N.A	उत्पाद शुल्क आयुक्त (रांची) Comm. Excise (Ranchi)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	17.28 17.28	उपलब्ध नहीं N.A	उत्पाद शुल्क आयुक्त (रांची) Comm. Excise (Ranchi)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	24.00 24.00	2011 2011	नया दावा Fresh Claim
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 Excise Act, 1944	उत्पाद शुल्क Excise Duty	1.13 1.13	2011 2011	नया दावा Fresh Claim
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.41 0.41	1979-80 1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.32 0.32	1981-82 1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.89 24.89	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. of Sales Tax, Patna

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.00 24.00	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. Of Sales Tax, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.42 5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	1.73 1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	5.08 5.08	1987-88 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.14 0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.38 0.38	1991-92 1991-92	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	सीसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST(Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने पर उप आयुक्त (बिक्री कर) के दावे Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non-payment of Sales Tax on FPS Items	5.00 5.00	1993-94 1993-94	सीसीटी, पटना CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तालचर) Sales tax (Talcher)	1.12 1.12	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astt. Com. of Sales Tax, Cuttack, Odisha
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तालचर) Sales tax (Talcher)	1.15 1.15	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astt. Com. of Sales Tax Cuttack, Odisha
नगर निमगम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	47.74 47.74	उपलब्ध नही N.A	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
नगर निमगम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	16.64 16.64	2017-18 2017-18	सामान्य प्रशासन Local Authority

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।
N.A. means : Not available

viii. हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं, बैंक, सरकार से डिबेन्चर धारकों का या ऋण या उधार से संबंधित देयता बकाया नहीं हैं। अत: आदेश का पैराग्राफ 3 (viii) लागू नहीं होता।

ix. वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव सहित ऋण इन्सटूमेंट और मियादी ऋण के द्वारा कम्पनी ने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। अत: आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं होता।

x. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा या कम्पनी के ऊपर इसके अधिकारियों द्वारा छल को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया।

xi. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उसके निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान नहीं किया गया है। अत: आदेश का पैराग्राफ 3(xi) लागू नहीं होता।

xii. हमें दी गई जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं हैं। अत: आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता।

xiii. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, जहाँ लागू हो, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इस प्रकार के लेन-देन का ब्यौरा, जैसा कि लागू लेखा मानक की माँग है, के अनुसार वित्तीय विवरण में वर्णित किया गया है।

viii. According to the information and explanations given to us by the management, the Company did not have any outstanding dues in respect of debenture holders or loans or borrowings from financial institution, bank, and Government during the year. Therefore, the paragraph 3(viii) of the order is not applicable to the Company.

ix. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term loans during the year. Therefore, the paragraph 3(ix) of the order is not applicable to the Company.

x. According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

xi. No managerial remuneration has been paid or provided by the Company to its Directors during the year. Therefore, the paragraph 3(xi) of the order is not applicable to the Company.

xii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable to the Company.

xiii. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरो का प्लेसमेंट नही किया है। अत: आदेश का पैराग्राफ 3 (xiv) लागू नहीं होता।

xv. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के साथ भारत सरकार की पूर्व अनुमति के अनुसार नकदी रहित लेन-देन किया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित हैं। कम्पनी का दावा है कि कथित लेन-देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत नहीं आती है। अत: साधारण बैठक में सदस्यों के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही है।

xvi. कम्पनी का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 के धारा 45आई ए में पंजीकृत होना अपेक्षित नही हैं। अत: आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

कृते मै0 एस.सी.वी. एण्ड कं0 एलएलपी,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 000235एन/एन500089
ह0/-
(राजीव पुरी)
भागीदार
सदस्यता सं.: 084318

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 20, 2018

xiv. According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable to the Company.

xv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, during the year, the Company has entered into non-cash transaction with another public sector company referred to in section 192 of the Companies Act, 2013 as per prior approval of Government of India.The Company claims that the said transaction does not fall under section 192 of the Companies Act, 2013 and therefore prior approval of members in the general meeting is not necessary.

xvi. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, paragraph 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000235N/N500089
Sd/-
(Rajiv Puri)
Partner
Membership No. 084318

Place : New Delhi
Dated : August 20, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'
Annexure "B" to the Independent Auditor's Report

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) (''अधिनियम'') के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।
Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

हमें, दि फार्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च 2018 तक के आंरतिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के रूप में नियुक्त किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपने व्यवसाय को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी की नीतियों के साथ लगाव, उसके परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करना, गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारियों को तैयार करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग

We were engaged to audit the internal financial controls over financial reporting of The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company") as of 31st March, 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit conducted in

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है।

नीचे के पैराग्राफ, डिसक्लेमर आफ ओपीनियन में वर्णन के अनुसार हम कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षा के लिये मत का आधार बनाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणो को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणत: मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियॉं और पद्धतियॉं सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित है और उचित ब्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शाता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड बनाया गया है जैसा कि साधाारणत: मान्य लेखांकन सिद्वान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्राप्तियॉं एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्रधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोडा़ सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में उचित विश्वसनीयता को बनाना।

डिसक्लेमर आफ ओपीनियन

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंगों पर आधरित या उस पर विचार करते हुये इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेन्टस् आफ

accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, to the extent applicable to the audit of internal financial controls, both issued by Institute of Chartered Accountants of India.

Because of the matter described in Disclaimer of Opinion paragraph below, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Disclaimer of Opinion

According to the information and explanation given to us, the Company has not established its internal financial control over financial reporting on criteria

इण्डिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के मार्गदर्शन नोट में वर्णन के अनुसार कम्पनी ने अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इस कारण हम अपने मत के लिये आधार बनाने के लिये पूर्ण और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि कम्पनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और कि इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 तक प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

हमने, इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक के अनुसार जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत वर्णित है, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की जिसमे मार्च 31, 2018 तक के तुलन पत्र और संबंधित लाभ-हानि विवरण तथा उसी वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा अन्य स्पष्ट की गई जानकारियों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण के प्रकार, समय तथा लेखा परीक्षा के सीमा का निर्धारण करने के लिये हमने उपरोक्त रिपोर्ट में की गई डिसक्लेमर को ध्यान में रखा है और डिसक्लेमर ने कम्पनी के वित्तीय विवरण पर हमारे मत को प्रभावित किया है विशेषकर प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों और स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन न किये जाने के कारण ट्रेड प्राप्ति योग्य, ट्रेड भुगतान योग्य तथा अन्य के बकाया की पुष्टि को प्राप्त न करने के कारण और वित्तीय विवरण पर हमने क्वालीफाइड मत दे दिया है।

कृते मै0 एस.सी.वी. एण्ड कं0 एलएलपी,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 000235एन/एन500089
ह0/-
(राजीव पुरी)
भागीदार
सदस्यता सं.: 084318

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 20, 2018

based on or considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to providea basis for our opinion whether the Company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2018.

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited, which comprise of Balance Sheet as at March 31, 2018 and the related Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company and the disclaimer has affected our opinion on the financial statements of the Company specially due to physical verification of inventory and fixed assets not conducted by the management during the year, non-obtaining of balance confirmation in respect of trade receivables, trade payables and others and we have issued a qualified opinion on the financial statements.

For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000235N/N500089
Sd/-
(Rajiv Puri)
Partner
Membership No. 084318

Place : New Delhi
Dated : August 20, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'
Annexure "C" to the Independent Auditor's Report

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देशों का उत्तर।
Replies to the Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
प्र.1 क्या कम्पनी के पास स्वामित्व पर और पट्टे पर भूमि का क्रमश : पूर्ण स्वामित्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो वह स्वामित्व वाली और पट्टे पर उपलब्ध क्षेत्र बतायें जिसके लिये स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कम्पनी के स्थायी सम्पत्ति के स्वामित्व की प्रमाण सहित उपलब्ध कराई गई सभी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि सभी अचल सम्पत्ति कम्पनी के नाम पर हैं। निम्नलिखित मूर्त भूमि या क्वार्टर, कम्पनी के अनुसार, उनके नाम पर नहीं है: क) तलचर में 7.780 एकड़ भूमि जो कि कम्पनी के कब्जे में हैं, राजस्व रिकार्ड में पंजीयन के संबंध में औपचारिकता अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस संबंध में अभी अनुबंध होना बाकी हैं। ख) हैवी वाटर प्लांट (एच.डब्ल्यू.पी.) को पुनरूजीवन के फैसले को देखते हुये 344 क्वार्टर के बदले में 202 क्वार्टर दिये गये हैं लेकिन इस अदला-बदली को प्रभावित नहीं किया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।
Q.1 Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available?	In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However the following tangible land or quarters as per the company are not in its name: a) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same remains to be executed.

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
	b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of quarters of 344 subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided.
प्र.2 क्या कोई मामला छोड़ने/ऋण की माफी/ऋण/ब्याज आदि का हैं? यदि हॉ तो उसका कारण और फॅसी हुई राशि।	वर्ष 2016-17 में सीएजी की संस्तुति के अनुसार कम्पनी द्वारा 527.62 लाख रूपये न्यायालय में जमा करने और दूसरी पार्टी (वादी) द्वारा पिछले वर्ष निकाल लेने के पश्चात इसे वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाल दिया गया है।
Q.2 Whether there are any cases of waiver/ write-off of debts/loans/interest etc. If yes, the reasons thereof and the amount involved?	As per CAG recommendation made during the year 2016-17, an amountof Rs 527.62 Lakhs deposited by the Company with the Court and withdrawn by the other Party (litigant) in the earlier year has been written off during the year.
प्र.3 क्या तीसरी पार्टी के पास रखी वस्तुसूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान में प्राप्त परिसम्पत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया हैं?	कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार तीसरी पार्टी के पास कच्चा माल नहीं रखा है। सरकार से या अन्य प्राधिकरणों से वर्ष के दौरान कोई भी परिसम्पत्ति उपहार के रूप में नहीं प्राप्त हुई है।
Q.3 Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities?	As per records of the Company, no raw materialsare lying with third parties. Further, no assets have been received as gift during the year from Government or the other authorities.

कृते मै0 एस.सी.वी. एण्ड कं0 एलएलपी,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 000235एन/एन500089
ह0/-
(राजीव पुरी)
भागीदार
सदस्यता सं.: 084318

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 20, 2018

For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000235N/N500089
Sd/-
(Rajiv Puri)
Partner
Membership No. 084318

Place : New Delhi
Dated : August 20, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'घ'
Annexure "D" to the Independent Auditor's Report

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर
Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, अतिक्रमण में भूमि का क्षेत्रफल बतायें और इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये कम्पनी द्वारा उठाये गये कदम की संक्षिप्त जानकारी दें।	सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि में अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाहीं करने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में कम्पनी जिला प्राधिकरणों को सूचित करती रहती है और सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही हैं।
Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachments?	There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed. The company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.
प्र.2 क्या भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य सब्सिडी को, जैसा कि दावा किया गया है, उचित तरीके से लेखंकित कर लिया गया है?	लेखा परीक्षा अवधि (वित्त वर्ष 2017-18) में भारत सरकार से कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त करनी है। अतः यह खंड कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

प्रश्नमाला/Questionnaire		उत्तर/Replies
Q.2	Whether subsidy received/recoverable from Government of India has been properly accounted for as per claims admitted.	During the audit period (F.Y. 2017-18) no subsidy has been received or recoverable from Government of India, therefore this clause is not applicable to the Company.

कृते मै0 एस.सी.वी. एण्ड कं0 एलएलपी,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 000235एन/एन500089
ह0/-
(राजीव पुरी)
भागीदार
सदस्यता सं.: 084318

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 20, 2018

For SCV & Co. LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000235N/N500089
Sd/-
(Rajiv Puri)
Partner
Membership No. 084318

Place : New Delhi
Dated : August 20, 2018

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 20 अगस्त 2018 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें, जो कि मेरे ध्यान में आयी हैं, को उजागर करना चाहता हूँ जो कि मेरे विचार में वित्तीय विवरणों तथा अन्य संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को समझने के लिये आवश्यक है:

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा

वर्ष में लाभ	:	113.95 करोड़ रूपये
विशिष्ट मद (नोट-1ड)	:	144.49 करोड़ रूपये

उपर्युक्त शीर्ष में 51.98 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं जो कि अनुपार्जित राजस्व के मान्यता के कारण है जो कि रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) से जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) का संयुक्त उद्यम है, से प्राप्त होने योग्य है जो कि सुविधा क्षेत्र में कन्सेसन प्रदान करने के एवज में है और साथ ही जिसमें अवसर लागत, उपयोग होने योग्य सम्पत्तियाँ और एफ. सी.आई.एल. की संबंधित आधारभूत संरचना सम्मिलित हैं।

कन्सेसन समझौता के अनुच्छेद 2.2.1 के अनुसार संयुक्त उद्यमों के परियोजना के पूँजी लागत के कुल देय इक्विटी पूँजी का 11 प्रतिशत परियोजना के व्यवसायिक उत्पादन के समय एफ.सी.आईएल. को प्रदान की जायेगी। जैसा कि परियोजना के परिचालन की तिथि 30 सितम्बर 2019 निर्धारित है, 51.98 करोड़ रूपये की यह राशि अभी नही दी गई है।

इस कारण विशिष्ट मद के अंतर्गत 51.98 करोड़ रूपये ऋण एवं अग्रिम के विवरण में अधिक हो गया है। अतः वर्ष का लाभ इस राशि के कारण अधिक दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह०/-
(मौसुमी रे भट्टाचार्या)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की प्रमुख निदेशक
तथा आडिट बोर्ड-II की पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 8 नवम्बर, 2018

Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2018.

The preparation of financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 August 2018.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view is necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Financial Position

Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2018

Profit for the year	:	Rs. 113.95 crore
Exceptional item's (Note-1M)	:	Rs. 144.49 crore

The above head includes a sum of Rs. 51.98 crore due to recognition of unaccrued revenue receivable from Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL), a joint venture amongst National Fertilizers Limited, Engineers India Limited and Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) towards consideration of granting concession to the facility area including opportunity cost, usable assets and related infrastructure of FCIL.

As per Article 2.2.1 of the Concession Agreement, 11 percent of the total paid up equity capital of the JVC portion of the capital expenditure of the project at the time of the commercial production of the project will be granted to FCIL. Since the Commissioning of the project is scheduled on 30th September 2019, this amount of Rs. 51.98 crore has not yet accured.

This has resulted in overstatement of Loans & Advances with corresponding overstatement of Exceptional item's by Rs. 51.98 crore. Consequently Profit for the year is overstated by the same amount.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Mausumi Ray Bhattacharya)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

Place : Kolkata
Dated : 08 November, 2018

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत टिप्पणी

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा

वर्ष में लाभ	:	113.95 करोड़ रूपये
विशिष्ट मद (नोट-1ड)	:	144.49 करोड़ रूपये

उपर्युक्त शीर्ष में 51.98 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं जो कि अनुपार्जित राजस्व के मान्यता के कारण है जो कि रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) से जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) का संयुक्त उद्यम है, से प्राप्त होने योग्य है जो कि सुविधा क्षेत्र में कन्सेसन प्रदान करने के एवज में है और साथ ही जिसमें अवसर लागत, उपयोग होने योग्य सम्पत्तियाँ और एफ.सी.आई.एल. की संबंधित आधारभूत संरचना सम्मिलित हैं।

कन्सेसन समझौता के अनुच्छेद 2.2.1 के अनुसार संयुक्त उद्यमों के परियोजना के पूँजी लागत के कुल देय इक्विटी पूँजी का 11 प्रतिशत परियोजना के व्यवसायिक उत्पादन के समय एफ.सी.आई.एल. को प्रदान की जायेगी। जैसा कि परियोजना के परिचालन की तिथि 30 सितम्बर 2019 निर्धारित है, 51.98 करोड़ रूपये की यह राशि अभी नही दी गई है।

इस कारण विशिष्ट मद के अंतर्गत 51.98 करोड़ रूपये ऋण एवं अग्रिम के विवरण में अधिक हो गया है। अतः वर्ष का लाभ इस राशि के कारण अधिक दर्शाया गया है।

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत टिप्पणी पर निदेशक मंडल की टिप्पणी।

जैसा कि सी.ए.जी. द्वारा निदेश दिया गया है, वित्त वर्ष 2018-19 में अपवाद मद में 51.98 करोड़ रूपये की राशि को घटा दिया जायेगा।

Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2018.

A. Comments on Financial Position

Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2018

Profit for the year : Rs. 113.95 crore
Exceptional item's (Note-1M) : Rs. 144.49 crore

The above head includes a sum of Rs. 51.98 crore due to recognition of unaccrued revenue receivable from Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL), a joint venture amongst National Fertilizers Limited, Engineers India Limited and Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) towards consideration of granting concession to the facility area including opportunity cost, usable assets and related infrastructure of FCIL.

As per Article 2.2.1 of the Concession Agreement, 11 percent of the total paid up equity capital of the JVC portion of the capital expenditure of the project at the time of the commercial production of the project will be granted to FCIL. Since the Commissioning of the project is scheduled on 30th September 2019, this amount of Rs. 51.98 crore has not yet accured.

This has resulted in overstatement of Loans & Advances with corresponding overstatement of Exceptional item's by Rs. 51.98 crore. Consequently Profit for the year is overstated by the same amount.

Remark of the Board of Directors on the Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2018.

The Exceptional item's as directed by CAG will be reduced by an amount of Rs. 51.98 Crore during the financial year 2018-19.

तुलन पत्र
(31 मार्च, 2018 को)
BALANCE SHEET
(As at 31st March, 2018)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
इक्विटी एवं देयताएं	**EQUITY & LIABILITIES**			
शेयर धारियों की निधियां	**Shareholders' Funds**			
शेयर पूँजी	Share Capital	2	75,092.39	75,092.39
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	3	(37,750.24)	(48,974.88)
चालू देयताएं नहीं हैं	**Non-Current Liabilities**			
दीर्घ अवधि देयताएं	Long Term Liabilities	4	272.95	272.95
ट्रेड देयताएं	Trade Payables			
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises		-	-
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम के अतिरिक्त लेनदारों को बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	4	1,084.36	1,084.36
अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	Other Long Term Liabilities	4	4,629.03	4,581.38
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long Term Provisions	5	1,192.22	1,189.96
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
ट्रेड देयताएं	Trade Payables			
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises		-	-

(जारी)/Continued

तुलन पत्र (31 मार्च 2018 को) (जारी)
BALANCE SHEET (As at 31st March, 2018) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम के अतिरिक्त लेनदारों को बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	6	5,868.33	5,878.58
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	7	3,971.45	136.11
लघु अवधि प्रावधान	Short Term Provisions	8	3,997.80	1,320.00
योग	Total		58,358.29	40,580.85
परिसम्पत्तियाँ	ASSETS			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	**Non-current Assets**			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	Fixed Assets			
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	Tangible Assets	9	5,559.01	5,742.11
चालू निवेश नहीं	Non-current Investment	10	9,254.85	3.22
ऋण एवं अग्रिम	Loan & Advances	12	644.68	1,176.63
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं	Other Non-current Assets	15	284.76	337.76
चालू परिसम्पत्तियां	**Current Assests**			
वस्तु सूचियाँ	Inventories	13	879.22	879.22
ट्रेड प्राप्ति योग्य	Trade Receivable	14	2.69	2.98
नकद एवं बैंक बकाया	Cash & Bank Balance	11	35,624.16	31,618.00
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	12	5,287.05	16.41

(जारी)/Continued

तुलन पत्र (31 मार्च 2018 को) (जारी)
BALANCE SHEET (As at 31st March, 2018) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	Other Current Assets	15	821.87	804.52
योग	Total		58,358.29	40,580.85

वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ - 1 से 22
Significant accounting policies & Notes on financial statements 1 to 22
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes to account referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(डी.पी. श्रीवास्तव)/(D.P. Srivastava)
निदेशक/Director
डिन/DIN - 06433221

ह०/- Sd/-
(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)
डिन/DIN - 07965269

ह०/- Sd/-
(धर्म पाल)/(Dharam Pal)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director
डिन/DIN - 02354549

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
सलाहकार/Advisor

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. एससीवी एण्ड कम्पनी एलएलपी
For M/s. SCV & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 000235 एन/एन500089
Firm Registration No. 00235N/N500089
ह०/- Sd/-
(राजीव पुरी)/(Rajiv Puri)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 084318

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 20.08.2018

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये)
PROFIT & LOSS STATEMENT (For the year ended on 31st March, 2018)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
आय	**Income**			
प्रचालन से राजस्व	Revenue from operations		Nil	Nil
अन्य आय	Other Income	17	2,983.47	8,825.50
कुल राजस्व (i)	Total Revenue (i)		2,983.47	8,825.50
व्यय	**Expenses**			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee Benefit Expenses	18	55.45	69.97
वस्तु सूची और स्टोर एण्ड स्पेयर में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventory and stores & spares	19	-	859.12
वित्त लागत	Finance Cost	20	198.10	31.37
मूल्यह्रास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortization expenses	9	12.04	11.71
अन्य व्यय	Other Expenses	21	2,640.13	4,373.55
कुल व्यय (ii)	Total Expenses (ii)		2,905.72	5,345.72
विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (i-ii)	Profit Before Exceptional and Extraordinary Items & Tax (i-ii)		77.75	3,479.78
विशिष्ट मद (संदर्भ टिप्पणी-1ड)	Exception Items (Refer Note-1M)		14,449.27	-
असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ	Profit Before Extra Ordinary items & Tax		14,527.02	3,479.78
असाधारण मद	Extra Ordinary Items		-	-
कर से पहले लाभ	Profit Before Tax		14,527.02	3,479.78
कर पर व्यय:	**Tax Expenses:**			
वर्तमान कर	Current Tax		3,131.75	637.55
पिछले वर्ष कर	Earlier Year Tax		(0.12)	(167.34)

(जारी)/Continued

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)
PROFIT & LOSS STATEMENT (for the year ended on 31st March, 2018) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) for the year		11,395.39	3,009.57
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (1000/- रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य) नोट 1(ट)	**Earnings per equity share (Face Value Rs. 1000 each): Note1(K)**			
(1) मूल (रूपयों में)	(1) Basic (In Rs.)		151.75	40.08
(2) द्रवीय (रूपयों में)	(2) Diluted (In Rs.)		151.75	40.08

वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ - 1 से 22
Significant accounting policies & Notes on financial statements 1 to 22
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes referred to above form an integral part of the statement of Proft & Loss.

ह०/- Sd/-
(डी.पी. श्रीवास्तव)/(D.P. Srivastava)
निदेशक/Director
डिन/DIN - 06433221

ह०/- Sd/-
(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)
डिन/DIN - 07965269

ह०/- Sd/-
(धर्म पाल)/(Dharam Pal)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director
डिन/DIN - 02354549

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
सलाहकार/Advisor

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. एससीवी एण्ड कम्पनी एलएलपी
For M/s. SCV & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 000235 एन/एन500089
Firm Registration No. 00235N/500089
ह०/- Sd/-
(राजीव पुरी)/(Rajiv Puri)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 084318

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 20.08.2018

अनुसूची-2
शेयर पूंजी
NOTE – 2
SHARE CAPITAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
प्राधिकृत	**Authorised**		
8,000,000 इक्विटी शेयर रु. 1000/- के प्रत्येक (गत वर्ष 8,000,000 इक्विटी शेयर)	8,000,000 Equity shares of Rs.1000/-each (Previous Year, 8,000,000 Equity Shares)	80000.00	80000.00
		80000.00	80000.00
जारी किये गये, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त	**Issued, Subscribed & Fully paid up**		
7509239 इक्विटी शेयर रुपये 1000/- के पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	7509239 Equity shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous Year 7509239 Equity Shares)	75092.39	75092.39
		75092.39	75092.39

क) रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

a) Reconciliation of equity shares outstanding at the beigning and at the end of the reporting year.

मिलान
RECONCILIATION

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018		31.03.2017 को As at 31.03.2017	
		संख्या/No.	रूपये/Rs.	संख्या/No.	रूपये/Rs.
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर	Share outstanding at the begining of the year	7509239	75092.39	7509239	75092.39
वर्ष में जारी शेयर	Share issued during the year	-	-	-	-
वर्ष में शेयर पीछे लाये गये	Share brought back during the year	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	Share outstanding at the end of the year	7509239	75092.39	7509239	75092.39

ख) संलग्न इक्विटी शेयर का निबंधन/अधिकार

b) Terms/Right attached equity shares

कम्पनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिसका मूल्य 1000/- रूपये है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को प्रति शेयर एक मत देने का अधिकार है और लाभांश का अधिकारी है।

The Company has only one class of equity shares having a value of Rs. 1000/- each holder of equity share is entitled to one vote per share and entiled to dividend.

कम्पनी के दिवालिया होने की स्थिति में इक्विटी शेयर धारक को और सभी अधिमानी राशि बाँटने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों को शेयर धारण अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

In the event of liquidation of the Company the holder of equity shares will be entiled to receive assets of the Company, after distribution of creditors and all preferential amount, in the proportion to their shareholding.

ग) कम्पनी में 5 प्रतिशत शेयर से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण।

C) Detail of shareholders holding more than 5% shares in the company.

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

शेयर धारक का नाम Name of Share Holder		31.03.2018 को As at 31.03.2018		31.03.2017 को As at 31.03.2017	
		शेयरों की संख्या No. of Share	% शेयर % of Share	शेयरों की संख्या No. of Share	% शेयर %of Share
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 1000/- रूपये के इक्विटी शेयर	Equity Share @ Rs. 1000 each fully paid up				
भारत सरकार	Government of India	7509232	99.99%	7509232	99.99%

अनुसूची-3
आरक्षित एवं अधिशेष
NOTE – 3
RESERVE AND SURPLUS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. आरक्षित पूंजी	**a. Capital Reserve**	75.69	75.69
		75.69	75.69
ख. परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	**b. Assets Revaluation Reserve**		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार बकाया	Balance as per the last financial statements	2,628.52	2,805.70
जोडें: परिसम्पति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	Add: Assets revaluation reserve	Nil	Nil
घटाएं: लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued assets during the year transferred from statement of Profit & Loss	(170.75)	(177.18)
अंतिम बकाया	Closing Balance	2,457.77	2,628.52
ग. अन्य आरक्षित (औद्योगिक आवास पर सब्सिडी)	**c. Other Reserve** (Subsidy on Industrial Housing)		
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	5.92	5.92
जोडें: वर्ष के दौरान जोडें	Add: Addition during the year	-	-
अंतिम बकाया	Closing Balance	5.92	5.92
घ. लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/घाटा	**d. Surplus/Deficit in Statement of Profit & Loss**		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार बकाया	Balance as per last Financial Statement	(51,685.01)	(54,694.58)
जोडें: वर्ष में लाभ (हानि)	Add: Profit (Loss) for the year	11,395.39	3,009.57
लाभ एवं हानि विवरण में निवल अधिशेष/घाटा	**Net Surplus/Deficit in the Statement of Profit & Loss**	(40,289.62)	(51,685.01)
		(37,750.24)	(48,974.88)

अनुसूची- 4
दीर्घ अवधि देयताएँ
NOTE – 4
LONG TERM LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
अन्य	**Others**		
पूँजी मदें	Capital items	272.95	272.95
		272.95	272.95
ट्रेड देय	**Trade Pyables**		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (सदंर्भ नोट-1, एफ-7)	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises (Refer Note-1, F-7)	-	-
		-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	1,084.36	1,084.36
		1,084.36	1,084.36
अन्य दीर्घ अवधि देयताएँ	**Other Long Term Liabilities**		
i) ट्रेड एवं अन्य जमा	i) Trade and other deposits	524.90	514.46
ii) प्रतिभूति/बयाना जमा राशि	ii) Security/Earnest money deposit	490.95	462.34
iii) भूतपूर्व कर्मचारी	iii) Ex-Employees	112.90	116.38
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (आवास पट्टे पर)	iv) Ex-Employees (Lease accommodation)	2,053.52	2,016.61
v) सांविधिक देयताएं	v) Statutory liabilities	252.24	266.45
vi) सीमा शुल्क	vi) Custom duty	585.09	585.09
vii) अन्य देयताएं	vii) Other Liabilities	518.23	534.16
viii) कर्मचारी सुख सुविधा निधि	viii) Worker's Amenities Fund	91.20	85.89
		4,629.03	4,581.38
		5,986.34	5,938.69

अनुसूची-5
दीर्घ अवधि प्रावधान
NOTE – 5
LONG TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employees's Benefits	-	-
अन्य:	Others:		
i) व्यय के लिये प्रावधान	i) Provision for Expenses	1,116.56	1,118.56
ii)नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	ii) Penal Interest on NOIDA land	68.18	63.92
iii) नेहरू प्लेस फ्लैट धारक	iii) Nehru Place Flat owners	7.48	7.48
		1,192.22	1,189.96

अनुसूची-6
ट्रेड देय
NOTE – 6
TRADE PAYABLE

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (सदंर्भ नोट-1, एफ-7)	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises (Refer Note-1, F-7)	-	-
		-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	5,860.54	5,860.54
खर्चे पर लेनदार	Creditors for Expenses	5.15	4.68
देय लेखा परीक्षा फीस	Audit Fee payable	2.64	2.56
देय किराया	Rent payable	-	10.80
		5,868.33	5,878.58

अनुसूची-7
अन्य चालू देयताएं
NOTE – 7
OTHER CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	45.10	40.00
देय प्रतिभूति व्यय	Security expenses payable	29.63	19.84
सांविधिक देयताएँ	Statutory Liabilities	82.20	48.34
कर्मचारियों का वेतन	Salary for Employees	1.78	1.46
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.27	0.53
देय नगर पालिका कर	Municipal Tax Payable	79.25	-
ग्राहकों से अग्रिम	Advance from Customer	-	9.07
स्थायी परिसम्पत्ति/वस्तुसूची की बिक्री पर अग्रिम	Advance against sale of fixed assets / inventory	3712.60	-
अग्रिम पट्टा किराया	Advance Lease Rental	20.62	16.87
		3971.45	136.11

अनुसूची-8
लघु अवधि प्रावधान
NOTE – 8
SHORT TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	**(a) Provisions for Employees Benefit**		
आनुतोषिक (स्ववित्त)	Gratuity (Unfunded)	31.08	36.96
अवकाश नगदीकरण (स्ववित्त)	Leave Encashment (Unfunded)	10.12	10.59
सेवानिवृत्ति (स्ववित्त)	Superannuation (Unfunded)	51.92	41.12
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए., आदि)	Others (VSS-TA, etc.)	3.44	3.42
बोनस	Bonus	0.34	0.62
(ख) अन्य	**(b) Other**		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	247.30	212.33
कानूनी मामलों के लिये प्रावधान	Provision for legal cases	604.09	522.44
आयकर के लिये प्रावधान (निवल अग्रिम कर तथा टी.डी.एस.)	Provision for Income Tax (Net of advance tax & TDS)	3,049.51	492.52
		3,997.80	1,320.00

अनुसूची/NOTE–9

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

FIXED ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block					संचित मूल्यह्रास / Accumulated Depreciation					निवल खण्ड / Net Block	
	01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	(निपटान) स्थानान्तरण (Disposal)/ Transferred	वृद्धि Addition	समायोजन Adjustment	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के ऊपर मूल्यह्रास Depreciation on Revaluation	निपटान स्थानान्तरण के लिए On Disposals/ Transferred	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	31.03.2017 को बकाया Balance as at 31.03.2017	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018
क) निपटान के लिए सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ A) Assets Retired and Held for Disposal												
सडकें एवं पुलियां Roads & Culverts - FY.	197.34	-	-	-	197.34	187.48	-	-	-	187.48	9.86	9.86
भवन Buildings - FY	2,098.83	-	-	-	2,098.83	1,992.98	0.01	0.40	-	1,993.39	105.85	105.44
रेलवे साइडिंग्स Railway Sidings	2,480.85	-	-	-	2,480.85	2,356.81	-	-	-	2,356.81	124.04	124.04
संयंत्र एवं उपकरण Plant and Equipment	44,468.00	(110.04)	-	-	44,357.96	42,203.79	-	32.68	(104.53)	42,131.94	2,264.21	2,226.02
गैस टरबाईन Gas Turbine	2,235.57	-	-	-	2,235.57	1,711.49	-	43.32	-	1,754.81	524.08	480.76
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage and Drainage - FY	1,739.21	-	-	-	1,739.21	1,663.11	0.60	-	-	1,663.71	76.10	75.50
विविध उपकरण Misc. Equipments	250.99	-	-	-	250.99	240.77	-	-	-	240.77	10.22	10.22
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	221.50	-	-	-	221.50	210.45	-	-	-	210.45	11.05	11.05
परिवहन गाडियां Transport Vehicles	29.99	-	-	-	29.99	28.65	-	-	-	28.65	1.34	1.34
	53,722.28	(110.04)	-	-	53,612.24	50,595.53	0.61	76.40	(104.53)	50,568.01	3,126.75	3,044.23
पूंजीगत सामग्री Capital Stores	1,610.61	-	-	-	1,610.61	1,610.61	-	-	-	1,610.61	-	-
योग (क) /Total (A)	55,332.89	(110.04)	-	-	55,222.85	52,206.14	0.61	76.40	(104.53)	52,178.62	3,126.75	3,044.23

(जारी)/Continued

अनुसूची/NOTE–9

स्थायी परिसम्पत्तियाँ ## (जारी)

FIXED ASSETS ## (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block 01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	(निपटान) स्थानान्तरण (Disposal)/ Transferred	वृद्धि Addition	समायोजन Adjustment	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	संचित मूल्यह्रास / Accumulated Depreciation 01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के ऊपर मूल्यह्रास Depreciation on Revaluation	निपटान स्थानान्तरण के लिए On Disposals/ Transferred	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	निवल खण्ड / Net Block 31.03.2017 को बकाया Balance as at 31.03.2017	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018
ख) अन्य परिसमत्तियाँ (टाउनशिप सहित) B) Other Assets (Including Township)												
भूमि पट्टे पर* Land - Lease Hold*	200.02	-	-	(18.65)	181.37	68.97	1.75	-	-	70.72	131.05	110.65
भूमि स्वामित्व पर Land - Free Hold	289.89	-	-	18.65	308.54	-	-	-	-	-	289.89	308.54
सडकें एवं पुलियां Roads & Culverts	269.14	-	-	-	269.14	262.10	-	-	-	262.10	7.04	7.04
भवन Buildings	4,740.28	-	-	-	4,740.28	2,565.87	6.45	92.79	-	2,665.11	2,174.41	2,075.17
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage and Drainage	443.23	-	-	-	443.23	435.40	0.01	1.56	-	436.97	7.83	6.26
विविध उपकरण Misc. Equipments	0.91	-	-	-	0.91	0.90	-	-	-	0.90	0.01	0.01
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture And Office Appliances	3.91	-	2.27	-	6.18	2.00	0.70	-	-	2.70	1.91	3.48
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर) Plant & Machinery (computer)	10.79	-	2.93	-	13.72	7.57	2.52	-	-	10.09	3.22	3.63
विद्युत उपकरण संस्थापन-टाउनशिप Elect. Instt. Township	13.17	-	-	-	13.17	13.17	-	-		13.17	-	-
योग (ख)/Total (B)	5,971.34	-	5.20	-	5,976.54	3,355.98	11.43	94.35	-	3,461.76	2,615.36	2,514.78
योग (क + ख) **Grand Total (A + B)**	61,304.23	(110.04)	5.20	-	61,199.39	55,562.12	12.04	170.75	(104.53)	55,640.38	5,742.11	5,559.01

* पट्टे पर भूमि 90 वर्ष के लिए पट्टे पर है। * Lease hold land is on lease period of 90 years.

रिहायशी फलैट, दुकानें, रोड आदि सहित परिसम्पत्ति प्रचालन पट्टे पर दी गई है जिसका मूल्य वर्ष में मूल्यह्रास और वर्ष के अंत में डब्ल्यू डी वी अलग नही किये गये है।

Assets including residential flats, shops, road etc. given on operating lease, whose cost, depreciation for the year and WDV at the end of the year is not segretated.

पट्टे पर दी गई परिसम्पत्ति का विवरण। ## Detail of Fixed Assets given on lease.

DESCRIPTION	Gross Block as on March 2018	Accumulated Depreciation	Net Block as on March 2018
FACTORY ASSETS			
ROADS & CULVERTS	48.48	46.05	2.42
BUILDINGS	733.43	694.53	38.90
WATER SYSTEM & DRAINAGE	336.88	331.50	5.38
RAILWAY SIDING	1,401.45	1,331.38	70.07
TOTAL (A)	**2,520.24**	**2,403.46**	**116.78**
(B) CAPITAL STORES	-	-	-
TOTAL (A+B)	**2,520.24**	**2,403.46**	**116.78**
TOWNSHIP ASSETS		-	-
LAND	162.62	-	162.62
ROADS & CULVERTS	35.75	34.82	0.93
BUILDINGS	1,885.83	1,108.86	776.96
WATER SYSTEM & DRAINAGE	118.24	112.07	6.17
TOWNSHIP ASSETS TOTAL	**2,202.43**	**1,255.75**	**946.68**
GRAND TOTAL	4,722.67	3,659.21	1,063.46

अनुसूची/NOTE–9
स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पिछले वर्ष)
FIXED ASSETS (PREVIOUS YEAR)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block					संचित मूल्यह्रास / Accumulated Depreciation					निवल खण्ड / Net Block	
	01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	(निपटान) स्थानान्तरण (Disposal)/ Transferred	वृद्धि Addition	समायोजन Adjustment	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के ऊपर मूल्यह्रास Depreciation on Revaluation	निपटान स्थानान्तरण के लिए On Disposals/ Transferred	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	31.03.2017 को बकाया Balance as at 31.03.2017	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018
क) निपटान के लिए सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ												
A) Assets Retired and Held for Disposal												
सडक एवं पुलिया Roads & Culverts - FY.	197.34	-	-	-	197.34	187.48	-	-	-	187.48	9.86	9.86
भवन Buildings - FY	2,503.28	(404.45)	-	-	2,098.83	2,375.06	-	0.40	(382.48)	1,992.98	128.22	105.85
रेलवे साइडिंग्स Railway Sidings	2,480.85	-	-	-	2,480.85	2,356.81	-	-	-	2,356.81	124.04	124.04
संयंत्र एवं उपकरण Plant and Equipments	50,799.51	(6,331.51)	-	-	44,468.00	48,179.79	-	38.93	(6,014.93)	42,203.79	2,619.72	2,264.21
गैस टरबाईन Gas Turbine	2,235.57	-	-	-	2,235.57	1,668.16	-	43.33	-	1,711.49	567.41	524.08
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage and Drainage - FY	1,816.69	(77.48)	-	-	1,739.21	1,736.12	0.60	-	(73.61)	1,663.11	80.57	76.10
विविध उपकरण Misc. Equipments	352.57	(101.58)	-	-	250.99	334.94	-	-	(94.17)	240.77	17.63	10.22
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	278.50	(57.00)	-	-	221.50	264.62	-	-	(54.17)	210.45	13.88	11.05
परिवहन गाडिया Transport Vehicles	38.25	(8.26)	-	-	29.99	36.32	-	-	(7.67)	28.65	1.93	1.34
	60,702.56	(6,980.28)	-	-	53,722.28	57,139.30	0.60	82.66	(6,627.03)	50,595.53	3,563.26	3,126.75
पूंजीगत सामग्री Capital Stores	1,610.61	-	-	-	1,610.61	1,610.61	-	-	-	1,610.61	-	-
योग (क) /Total (A)	62,313.17	(6,980.28)	-	-	55,332.89	58,749.91	0.60	82.66	(6,627.03)	52,206.14	3,563.26	3,126.75

(जारी)/Continued

अनुसूची/NOTE–9
स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पिछले वर्ष) (जारी)
FIXED ASSETS (PREVIOUS YEAR) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block					संचित मूल्यह्रास / Accumulated Depreciation					निवल खण्ड / Net Block	
	01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	(निपटान) स्थानान्तरण (Disposal)/ Transferred	वृद्धि Addition	समायोजन Adjustment	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	01.04.2017 को बकाया Balance as at 01.04.2017	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के ऊपर मूल्यह्रास Depreciation on Revaluation	निपटान स्थानान्तरण के लिए On Disposals/ Transferred	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018	31.03.2017 को बकाया Balance as at 31.03.2017	31.03.2018 को बकाया Balance as at 31.03.2018
ख) अन्य परिसमत्तियाँ (टाउनशिप सहित) B) Other Assets (incl. Township)												
भूमि पट्टे पर* Land - Lease Hold*	200.02	-	-	-	200.02	66.88	2.09	-	-	68.97	133.14	131.05
भूमि स्वामित्व पर Land - Free Hold	289.89	-	-	-	289.89	-	-	-	-	-	289.89	289.89
सडक एवं पुलिया Roads & Culverts	269.14	-	-	-	269.14	262.10	-	-	-	262.10	7.04	7.04
भवन Buildings	4,740.28	-	-	-	4,740.28	2,466.41	6.49	92.97	-	2,565.87	2,273.87	2,174.41
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage and Drainage	443.23	-	-	-	443.23	433.85	-	1.55	-	435.40	9.38	7.83
विविध उपकरण Misc. Equipments	0.91	-	-	-	0.91	0.90	-	-	-	0.90	0.01	0.01
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture And Office Appliances	3.66	-	0.25	-	3.91	1.75	0.25	-	-	2.00	1.91	1.91
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर) Plant & Machinery (computer)	8.56	-	2.23	-	10.79	5.29	2.28	-	-	7.57	3.27	3.22
विद्युत उपकरण संस्थापन-टाउनशिप Elect. Instt. Township	13.17	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	13.17	-	-
योग (ख)/Total (B)	5,968.86	-	2.48	-	5,971.34	3,250.35	11.11	94.52	-	3,355.98	2,718.51	2,615.36
योग (क + ख) **Grand Total (A + B)**	68,282.03	(6,980.28)	2.48	-	61,304.23	62,000.26	11.71	177.18	(6,627.03)	55,562.12	6,281.77	5,742.11

* पट्टे पर भूमि 90 वर्ष के लिए पट्टे पर है।

* Lease hold land is on lease period of 90 years.

रिहायशी फ्लैट, दुकानें, रोड आदि सहित परिसम्पत्ति प्रचालन पट्टे पर दी गई है जिसका मूल्य वर्ष में मूल्यह्रास और वर्ष के अंत में डब्ल्यू डी वी अलग नही किये गये है।

Assets including residential flats, shops, road etc. given on operating lease, whose cost, depreciation for the year and WDV at the end of the year is not segregated.

अनुसूची–10
जो वर्तमान निवेश नही हैं
NOTE – 10
NON CURRENT INVESTMENT

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
दीर्घ अवधि निवेश **इक्विटी में निवेश** नान–ट्रेड निवेश (जब तक कहा न गया हो अन्यथा अनिवेदित लागत पर)	**Long Term Investment** **Investment in Equity Instruments** Non-Trade Investments (At cost unless stated otherwise-unquoted)		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि0 में पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	0.10	0.10
घटाएं: दीर्घ अवधि के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	Less: Provision for diminution in value of long term investment	(0.05)	(0.05)
		0.05	0.05
संयुक्त उद्यम कम्पनियों में ट्रेड निवेश (अनिवेदित लागत पर)	**Trade Investments in Joint venture companies (At cost-unquoted)**		
तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लि.) में पूर्णत: प्रदत्त 5,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/– रूपये के	Fully paid up equity shares 5,000 shares @Rs.10 each at Talchar Fertilizer Ltd. (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd.)	0.50	0.50
हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में पूर्णत: प्रदत्त 16,667 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/– रूपये के	Fully paid up equity shares 16,667 shares @Rs.10 each at Hindustan Urvarak and Rashyan Ltd.	1.67	1.67
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर 9,25,26,291 @ रू. 10/- के प्रत्येक (पिछले वर्ष 10,000 @ रू. 10/- के प्रत्येक) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में (संदर्भ टिप्पणी 1–एम)	Fully paid up equity shares 9,25,26,291 @Rs.10 each (Previous year 10,000 @Rs.10 each) at Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (Refer Note 1-M)	9,252.63	1.00
		9,254.85	3.22
गैर उद्धृत निवेश का कुल मूल्य	Aggregate value of unquoted Invesment	9,254.85	3.22
दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण	Aggregation of dimunition in value of long term invesment	0.05	0.05

अनुसूची-11
नकद एवं बैंक बकाया
NOTE – 11
CASH & BANK BALANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
नकद एवं नकद के बराबर	**Cash & Cash Equivalents**				
(क) बैंक में शेष	**(a) Balance with Banks**				
चालू खाता-I	Current Account I	-	-	680.93	136.41
फ्लैक्सी जमा खाता	Flexi Deposit Account	-	-	1076.10	1035.10
(ख) चैक हाथ में	**(b) Cheque in Hand**	-	-	0.46	-
(ग) नकद हाथ में	**(c) Cash in Hand**	-	-	4.81	3.17
		-	-	1,762.30	1,174.68
(घ) अन्य बैंक शेष	**(d) Other Bank Balances**				
मियादी जमा खाता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम असली परिपक्वता सहित	Fixed Deposit Accounts (with original maturity for more than 3 months but less than 12 months)	-	-	32,710.64	30,375.04
मियादी जमा खाता (12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित और 12 माह से कम के बकाया परिपक्वता के साथ	Fixed Deposit Accounts (with original maturity for more than 12 months and having remaining maturity for less than 12 months)	-	-	1,079.00	-
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित (सुख-सुविधा राशि)	Fixed Deposit Accounts with original maturity for more than 12 months (Amenities Fund)	5.60	5.60	72.22	68.28
चालू खाता-II (सुख-सुविधा राशि)	Current Account II (Amenities Fund)	5.42	5.42	-	-
डाकघर में बचत खाते में जमा (उत्पादशुल्क विभाग के पास गिरवी)	Deposits with Post Office Saving Bank Deposit (Pledged with Excise Deptt)	38.14	38.14	-	-
चालू परिसम्पत्ति नहीं है के अन्तर्गत प्रकट की गई राशि (संदर्भ नोट 15)	Amount disclosed under non-current assets (refer note.15)	(49.16)	(49.16)	-	-
		-	-	33,861.86	30,443.32
		-	-	35,624.16	31,618.00

अनुसूची-12
ऋण एवं अग्रिम
NOTE – 12
LOANS & ADVANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
जब तक कहा न जाय असुरक्षित खरे समझे गये	**Unsecured considered good unless otherwise stated**				
(क) ऋण एवं अग्रिम	**(a) Loans & advances**				
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	0.31	0.31	-	-
(ख) अग्रिम	**(b) Advances**				
पूर्तिकर्ता (संदिग्ध समझे गये)	Suppliers (considered doubtful)	223.49	223.49	-	-
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(223.49)	(223.49)	-	-
पूर्तिकर्ता (खरे समझे गये)	Suppliers (considered good)	123.52	123.47	-	-
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.60	0.70	1.22	1.62
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered doubtful)	56.79	56.79	4.86	8.17
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(56.79)	(56.79)	-	-
अन्य (खरे समझे गये)	Others (considered good)	9.35	9.39	-	-
अन्य प्राप्त होने योग्य (संदिग्ध समझे गये)	Other Receivable (Considered doubtful)	-	-	-	99.00
घटाए: प्राप्त होने योग्य संदिग्ध के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-	-	-	(99.00)
वस्तु और सेवा कर प्राधिकरण के पास बकाया	Balance with Goods and Service Tax Authorities	-	-	52.83	-
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid Expenses	-	-	6.69	6.62
प्रतिभूति जमा एनपीडीसीएल	Security Deposit NPDCL	6.76	6.76	-	-
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered good)	113.82	641.45	23.81	-
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (सदिंग्ध समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered doubtful)	0.24	0.24	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful deposits	(0.24)	(0.24)	-	-
आरएफसीएल से प्राप्त होने योग्य	Receivable from RFCL	-	-	5,197.64	-
आय कर एवं टीडीएस (प्रावधान का निवल)	Income Tax & TDS (Net of Provision)	390.32	394.55	-	-
		644.68	1,176.63	5,287.05	16.41

अनुसूची–13
वस्तु सूचियाँ
NOTE – 13
INVENTORIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर)	a. Raw Materials (Valued at Cost)	131.21	131.21
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	(98.40)	(98.40)
		32.81	32.81
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर)	b. Packing Materials (Valued at Cost)	33.59	33.59
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	(33.59)	(33.59)
		—	—
ग. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित)	c. Stores & Spares (Valued at Cost)	2,927.10	2,927.10
मार्गस्थ सामग्री	Goods in transit	45.95	45.95
सामग्री निरीक्षण में	Goods under inspecton	0.27	0.27
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	(2,126.91)	(2,126.91)
		846.41	846.41
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	Scrap (valued at estimated realisable value)	91.30	91.30
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	(91.30)	(91.30)
		—	—
		879.22	879.22

अनुसूची–14
व्यापारिक प्राप्त होने योग्य
NOTE – 14
TRADE RECEIVABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
(असुरक्षित, खरे समझे गये, जब तक कहा ना जाये) भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो प्राप्त होने योग्य हैं।	**(Unsecured, Considered good unless otherwise stated) Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment**		
सुरक्षित समझे गये	Considered Good	2.69	2.98
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	1,864.84	1,864.84
घटाएं : प्राप्त होने योग्य संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful receivables	(1,864.84)	(1,864.84)
		2.69	2.98

अनुसूची-15
अन्य परिसम्पत्तियाँ
NOTE – 15
OTHER ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017	31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
असुरक्षित खरे समझे गये जब तक कि व्यक्त न किया गया हो	Unsecured Considered good unless otherwise stated				
बैंक बकाया जो तत्कालीन नही है (संदर्भ नोट 11)	Non- current bank balances (refer note 11)	49.16	49.16	-	-
किराया बकाया-दुकानदार/ पीएसयू/बैंक/स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, banks, School etc. (Considered Doubtful)	882.35	825.09	5.49	5.49
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(882.35)	(825.09)	(5.49)	(5.49)
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Other (Considered Doubtful)	79.44	79.44	-	-
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(79.44)	(79.44)	-	-
पट्टा किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	51.40	54.25	1.11	1.95
किराया बकाया-दुकानदार/ पीएसयू/बैंक/स्कूल आदि (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, banks, School etc. (Considered Good).	154.55	195.21	20.98	11.75
किराया/जल एवं विद्युत प्रभार-पीडीआईएल	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	27.40	37.37	-	-
रेलवे साइडिंग का पट्टा किराया	Lease Rent-Railway siding	-	-	23.21	23.16
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	1.63	1.15	743.19	715.92
पी.एफ. ट्रस्ट से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from P.F. Trust	-	-	18.08	5.94
प्राप्त होने योग्य राशि (एसीसी)	Amount receivable (ACC)	-	-	15.30	20.77
प्राप्त होने योग्य राशि (एनएफएल)	Amount receivable (NFL)	0.62	0.62	-	-
आपूर्तिकर्ता से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from supplier	-	-	-	25.03
		284.76	337.76	821.87	804.52

अनुसूची-16
आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)
NOTE – 16
CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

			31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
(I)	आकस्मिक देयताएं	(I) Contingent Liabilities		
	कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है*	Claims against the Company not acknowledged as debt*		
	कर संबंधी जो विवाद में हैं, संभावित ब्याज सहित, जो कि अपील में है**	Tax matters in dispute under appeal including possible interest**		
	बिक्री कर के लिये माँग	Demand for Sales Tax	2,488.60	2,741.67
	सम्पत्ति कर के लिये माँग	Demand for Property Tax	16.64	-
	उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग	Demand for Excise Duty/Customs	383.91	383.91
	बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि	Estimated amount of contract remaining to be executed	115.74	79.35
	आनुतोषिक****	Gratuity****	3,000.00	3,000.00
	मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय	Pending decision of Court/under Arbitration	1,331.42	1,276.23
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 14-15**	Income Tax demand A.Y. 14-15*	267.10	276.10
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 13-14**	Income Tax demand A.Y. 13-14**	4,14,657.92	4,14,657.92
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10***	Income Tax demand A.Y. 09-10***	2,13,616.78	2,13,616.78
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 12-13***	Income Tax demand A.Y. 12-13***	588.21	588.21
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 11-12***	Income Tax demand A.Y. 11-12***	1,750.02	1,750.02
	आयकर की मांग विदेशी तकनीशियन	Income tax demand foreign technicians	19.14	19.14
	कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent Liabilities	6,38,235.48	6,38,380.33
(II)	प्रतिबद्धता	(II) Commitments	-	-
			6,38,235.48	6,38,380.33

*आई.टी.ए.टी. के समक्ष अपील फाइल किया गया है। *Appeal has filed with (ITAT)

**आई.टी.ए.टी. के समक्ष अपील फाइल किया गया है। **Appeal has filed with (ITAT)

****भूतपूर्व कर्मचारी को एडहोक भुगतान की गई राशि पर आनुतोषिक के भुगतान किये जाने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है। इसी अपील के साथ अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों के इसी प्रकार के दावों को एक साथ कर दिया गया है।

**** SLP's filled with Hon'ble Supreme Court against the order of Allahabad High Court for the payment of gratuity on account of adhoc payment to ex- employee. Similar claims of others ex-employees also clubbed with the aforesaid appeal.

*कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कानूनी परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं हैं, कार्यवाही में कामयाब होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

* The company is contesting the demands and the Management, including the legal counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

***कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कर परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं हैं, कार्यवाही में कामयाब होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

*** The company is contesting the demands and the Management, including the tax counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

अनुसूची-17
अन्य आय
NOTE – 17
OTHER INCOME

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
ब्याज से आय	**Interest Income**		
लघु अवधि जमा	Short Term Deposits	2,215.10	2,085.17
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank Deposits Workers Amenities Fund	5.31	5.24
घटाएं : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Less : Transfer to Workers Amenities Fund	(5.31)	(5.24)
अन्य ब्याज	Other interest	0.81	0.77
अन्य आय अप्रचालन से	**Other non-operating Income**		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent, Elec./Water charges	65.54	71.86
पट्टे के आवास के किराये की वसूली	Recovery of Lease Rent from Leased Accomodation	44.68	41.81
एम.ई.बी.एल. (ए.सी.सी.) से पट्टा किराया	Lease rent from MEBL (ACC)	19.28	27.83
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of License Fee	16.61	18.23
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of Rent from Land	24.27	13.61
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस (रेलवे साइडिंग) की वसूली	Recovery of Licence Fee from ACC (Rly. Siding)	272.40	284.00
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Water charges received from PDIL	18.60	0.88
वस्तुसूचियों के लिए प्रावधान को वापस लिया गया जो आगे नही चाहिए	Provision for inventory no longer required written back	-	675.13
अन्य आय	Misc. Income	21.18	27.47
सुरक्षा सेवाओं से आय	Income from Security Services	20.99	-
अन्य लघु आय	Other Petty Income	1.61	6.34
सिलेंडर के किराये से आय	Rental Income from Cylinder	4.83	4.83
वापस लिया गया प्रावधान जो नही चाहिए	Provision no longer required written back	105.22	39.55
स्टोर स्पेयर्स और वस्तुसूचियों की बिक्री	Sale of store spares and Inventory	-	214.78
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ (निवल स्क्रैप परिसम्पत्तियाँ)	Profit on sale of Fixed Assets (net of assets scrapped)	125.60	5,308.97
पूर्व अवधि आय (संदर्भ नोट 22)	Prior Period Income (refer note 22)	-	0.83
बागवानी उत्पाद और, लकडी (लम्बी) और राख की बिक्री	Sale of Horticultural Products and Dry Logwoods and Ash	26.75	3.44
		2,983.47	8,825.50

अनुसूची-18
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय
NOTE – 18
EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	33.37	54.53
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	1.08	1.89
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	13.67	0.83
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	6.11	8.11
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	0.21	0.03
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	1.01	4.58
		55.45	69.97

अनुसूची-19
वस्तुसूचियों में (बढ़त)/कमी
NOTE – 19
(INCREASE)/DECREASE IN INVENTORY

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
वर्ष के दौरान बेची गई वस्तुसूचियों की कीमत	Cost of inventory sold during the year	-	859.12
		-	859.12

अनुसूची-20
वित्तीय लागत
NOTE – 20
FINANCE COSTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
अन्य ब्याज (सेवा कर/जीएसटी पर)	Other Interest (on Service Tax/GST)	14.82	4.66
अग्रिम कर के देरी से भुगतान पर ब्याज	Interest on delayed payment of advance tax	182.84	26.39
बैंक प्रभार	Bank charges	0.44	0.32
		198.10	31.37

अनुसूची-21
अन्य व्यय
NOTE – 21
OTHER EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity & Water Charges	126.31	157.69
किराया	Rent	7.08	6.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	331.41	255.94
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	913.91	792.95
बीमा	Insurance	2.77	3.88
दर एवं कर	Rates & Taxes	105.36	58.02
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to Retainers	102.35	90.19
कानूनी एवं वृत्तिक व्यय	Legal & Professional Expenses	56.25	112.84
किराये के वाहन का प्रभार	Hire Charges of Vehicles	7.76	10.63
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	0.45	0.42
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	News Papers & Periodicals	0.18	0.17
गैस्ट हाऊस प्रभार	Guest House Expenses	1.44	1.63
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	5.65	6.85
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	0.84	1.00
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal Charges of NOIDA Land	4.26	4.26
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	6.08	7.33
यात्रा पर व्यय:	Travelling Expenses:		
निदेशक	Director	3.56	1.90
अन्य	Other	21.77	22.22
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running Expenses on Vehicles	3.63	4.77
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	0.65	0.57
विज्ञापन	Advertisement	-	1.38
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for Doubtful Debts	63.57	65.41
कानूनी खर्चो के लिए प्रावधान (आईईएल)	Provisions for Legal Expences (IEL)	81.65	522.44
संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Provisions for Doubtful Recovery	-	99.00
प्रतिबद्धता फीस बटटे खाते डाला गया	Commitment Fee written off	-	1,666.00
पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 22)	Prior Period Expenditure (refer note.22)	13.49	20.76
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on Rehabilitation Study	22.11	56.52
अन्य व्यय	Misc. Expenses	32.13	31.90
लेखा परीक्षकों को भुगतान	Payment to Auditors		
लेखा परीक्षा के रूप में	As Auditor		
क) लेखा परीक्षा फीस	a) Audit Fee	2.41	2.35
ख) कर लेखा परीक्षा फीस	b) Tax Audit Fee	0.47	0.46
ग) खर्चो का पुनर्भुगतान	c) Reimbursement of Expenses	0.36	0.26

(जारी)/Continued

अनुसूची-21
अन्य व्यय (जारी)
NOTE – 21
OTHER EXPENSES (Contiuned)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
परामर्श शुल्क - पीडीआईएल (पुनर्भुगतान का शुद्ध)	Consultancy charges- PDIL (Net of reimbursement)	115.75	225.61
परिसमापक के लिए कमीशन	Commission for Liquidator	-	1.87
न्यायालय के आदेश के अनुसार भुगतान आगे वसूली योग्य नहीं, बट्टे खाते डाला गया	Payment as per court order no longer recoverable written off	527.62	-
वस्तुसूची बट्टे खाते डाला गया	Inventory written off	-	5.16
एमएसटीसी को कमीशन	Commission to MSTC	78.86	135.17
		2,640.13	**4,373.55**

अनुसूची-22
पूर्व अवधि मदें
NOTE – 22
PRIOR PERIOD ITEMS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
व्यय	**Expenditure**		
वेतन एवं भत्ते	Salary and Wages	0.01	0.05
उत्पाद शुल्क/बिक्री कर	Excise Duty/Sales Tax	-	0.25
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	0.90	0.10
रेट एवं कर	Rates & Taxes	7.93	-
कानूनी एवं वृत्तिक	Legal & Professional	0.37	2.59
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	-	8.04
अन्य व्यय	Other Expenses	4.28	9.73
		13.49	20.76
आय	**Income**		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	-	0.83
		-	0.83

अनुसूची-1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं हैं।

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार सभी पहलुओं का अनुपालन करते हुये, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के पैरा 7 के साथ पढ़े, में अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार बनाये जाते हैं। कम्पनी का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है।

एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों के पुनरूज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

II. अनुमानो का उपयोग

वित्तीय विवरणें को सामान्यत: मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान लगाना पड़ता है और कल्पना करनी पड़ती है जो कि रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं और वित्तीय विवरण की तिथि तक की प्रकट की गई आकस्मिक

NOTE-1

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2018.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies which are being consistently followed.

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Financial Statements are prepared to comply in all material aspects with generally accepted accounting principles in India, (Indian GAAP) the notified Accounting Standards under Section 133 of the Companies Act 2013 read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Financial Statements of the company have been prepared on an accrual basis under historical cost convention.

Accounts have been finalized on the basis of going concern basis after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of Company.

II. USE OF ESTIMATES

The préparation of Financial Statements in conformity with generally accepted accounting principles (Indian GAAP) in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of

देयताओं और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वर्तमान और भविष्य की अवधि में लेखा अनुमान के किसी भी संशोधन में भावी रूप से मान्य है।

contingent liabilities at the date of financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

III. राजस्व मान्यता

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कंपनी को आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। राजस्व मान्यता से पहले निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडो को पूरा किया जाना चाहिए:-

- जो राशि निवेश की गयी है और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुऐ ब्याज से आय को समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- निवेश के लाभांश को तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित हो जाता है और जब मापन योग्यता या संग्रहणता की महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं रह जाती है।

III. REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised to the extent it is probable that the economic benefit will flow to the company and the revenue can be reliably measured. Following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:

- Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount invested and the rate of interest.
- Dividend from investment is recognised when the right to receive the payment is established and when no significant uncertainty as to measurability or collectability exists.

IV. स्थाई परिसम्पत्तियां

क) मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि निपटान के लिये हैं जिन्हे 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित किया गया है, को छोड कर स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मूर्त परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूर्णता के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है और उपयोग के लिये होता है।

ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा नि:शुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय

IV. FIXED ASSETS

a) Tangible fixed assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal/ assets given on lease, which have been revalued during the year ended 31st March 2015.

b) Tangible fixed assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.

c) Land given 'free of cost' by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines

हुये प्रासंगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।

घ) मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हे कंपनी 12 माह से अधिक के लिए उपयोग करना चाहती है का पूंजीकरा लेखा मानक-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया गया है।

ङ) अमूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

च) सेवामुक्त स्थायी परिसम्पत्तियों एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य ह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है। फिर भी जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास लागत के 95 प्रतिशत से अधिक का पहले ही कर दिया गया है, उसे वैसे की बनाये रखा गया है।

V. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में गिरावट/कमी को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

VI. मूल्यह्रास

क. 5000/– रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

ख. मूल्यह्रास और परिशोधन स्थायी सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है पर यथा अनुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.

d) Machinery spares which the company intends to use more than a period of 12 months are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard – 2 (Revised).

e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost & expenses could be measured reliably.

f) Retired fixed assets and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value. However, where fixed assets is already depreciated more than 95% of the cost, it is retained as it is.

V. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline/ diminution other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

VI. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5000/- are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.

ग. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात परिशोधित कर दिया जाता है।

VII. वस्तुसूचियां

क) कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, स्टोर्स और स्पेयर्स का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है।

ख) तैयार माल का मूल्यांकन लागत के कम से कम कीमत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

ग) कबाड़ का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

जो अप्रचलन में हैं उनके मूल्य को या वस्तुसूची के मूल्य में कमी के प्रावधान के पश्चात जहाँ लागू हो, वस्तुसूचियों में दर्शायागया है।

अप्रचलन में या कम दिखाना

कच्चा माल, स्टोर्स व स्पेयर्स सहित वस्तुसूचियों का वर्तमान मूल्य लागत मूल्य के 25 प्रतिशत पर लिया जाता है केवल इन्हें छोड कर:-

क) कोरबा प्लान्ट में मूल्य, लागत मूल्य के 5 प्रतिशत पर लिया जाता है और

ख) सिन्दरी प्लान्ट में उपयोग में न लाया गया 175 लाख रूपये मूल्य का प्लेटिनियम स्टोर्स में पड़ा है जिसका कम करके प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्लेटिनम का बाजार में मूल्य बढ़ने योग्य है।

तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्टि और उपयोग होने योग्य भंडार ल्यूब्रिकेंट, चिकित्सा भंडार तथा कबाड़ की वस्तुसूचियों को लागत मूल्य के 100 प्रतिशत पर अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

c) Lease hold land is amortised over the period of lease.

VII. INVENTORIES

a) Raw material, Packing material, Store and spares are valued at cost.

b) Finished goods is valued at lower of cost and net realisable value.

c) Scrap is valued at net realisable value.

Inventories are shown after providing for cost of obsolescence or depletion in the inventories value, wherever applicable.

Obsolescence or Depletion

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost except:

a) In Korba Plant, the value considered at 5% of the cost and

b) In Sindri Plant, Platinum lying in stores as unconsumed valued at Rs. 175.00 lakh for which no provision made for depletion as Platinum has appreciable value in the market.

Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, lubricants, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost towards obsolescence.

VIII. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वी.एस.एस. के विकल्प को अपना चुके कर्मचारियों को आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

IX. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

X. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रवधान किया जाता है।

XI. पट्टे

जहाँ कम्पनी पट्टेदार है

पट्टे को जहाँ पट्टादाता, पट्टे पर दिये गये मदों के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को प्रभावी ढ़ग से पर्याप्त रूप में बनाये रखता है, को आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाभ-हानि विवरणिका में आपरेटिंग पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर व्यय के रूप में माना गया है।

VIII. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VSS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non-monetary benefits, like, houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e. contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on accrual basis and charged to statement of Profit & Loss.

IX. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000 in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

X. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.

XI. LEASES :

Where the Company is the Lessee

Leases where the lessor effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

जहाँ कम्पनी पट्टेदाता है

पट्टो को जहाँ कम्पनी काफी हद तक परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ का स्थांतरण नहीं करता है, को आपरेंटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ बशर्ते जो आपरेटिंग पट्टे पर हैं, स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल हैं। लाभ-हानि विवरणिका में पट्टों से आय को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर माना गया है। लाभ-हानि विवरणिका में मूल्यह्रास सहित लागत को व्यय के रूप में माना गया है आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कि कानूनी लागत, ब्रोकरेज लागत आदि को लाभ और हानि विवरणिका में तुरंत लिया गया है।

XII. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन बेसिक आय की गणना वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरूज्जीवन के संबंध में सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ सी.सी.ई.ए. के निर्णय के सारांश को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

   i. मार्च 2012 तक भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और ब्याज को हटा दिया गया है। अत: भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

Where the Company is the Lessor

Leases in which the company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term. Cost including depreciation is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss. Initial direct costs such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

XII. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:

   I. Approved waiver of GOI loan and interest upto March 2012. Accordingly, the GOI loan and interest have been withdrawn from the books in FY 2012-13.

ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरूज्जीवन में भागीदार सार्वजनिक उद्यमों, ई.आई.एल., सी.आई.एल. और सेल की वचनबद्धता फीस के 2500 लाख रूपये एफ.सी. आई.एल. को देने के लिये निदेश देने की स्वीकृति।

iii. मार्च 2012 तक के भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तद्नुसार भारत सरकार के ऋण और ब्याज के वित्त वर्ष 2012-13 में लेखों से वापस ले लिया गया है।

iv. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई. एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी। ये लेनदार एन.पी.डी.सी.एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल. सी.डब्लू.सी., और आई. ओ.सी. हैं।

v. मै0 डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और इन देयतओं पर लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना ।

vi. वर्तमान में नामांकन पद्धति से, रामागुण्डम एकक में एन.एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई. एल. के संयुक्त उद्यम से मै. रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल) के द्वारा तथा तलचर एकक में गेल, आर.सी.एफ., सी. आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनर्जीवित/नया प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है।

1.1 एफ.सी.आई.एल. को उसके उपयोगी सम्पत्ति, अवसर लागत, भूमि आदि प्रदान करने के बदले में चरणबद्ध रूप से इक्विटी शेयर उस सीमा तक जारी किये जायेंगे कि अन्य पी.एस.यू. इक्विटी पूँजी के लिये नगद में इक्विटी शेयर इस प्रकार से योगदान करेंगे कि एक समय अवधि के पश्चात जे.वी.सी. में एफ.सी.आई.एल. की इक्विटी हिस्सा प्रोजेक्ट के व्यावसायिक उत्पादन होने के समय प्रोजेक्ट के पूंजी व्यय के इक्विटी भाग का 11 प्रतिशत

II. Approved that direction to be given to EIL, CIL & SAIL, the participating PSUs in the revival, to make the payment of Rs.2,500 Lakhs towards Commitment Fee to FCIL to make the net worth of FCIL Positive.

III. Approved waiver of consequent tax liabilities on account of making the net worth positive.

IV. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, SCCL, BHEL, CWC and IOC.

V. The dues of M/s. DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31st March 2003 with waiver of any interest or penalty on these dues.

VI. Presently revival/setting up of new plants is in progress, under nomination route, at Ramagundam Unit by M/s Ramagundam Fertilizer and Chemicals Ltd.(RFCL) a Joint Venture of NFL, EIL & FCIL and at Talcher Unit by M/s Talcher Fertilizer Limited (TFL) a Joint Venture of GAIL, RCF, CIL & FCIL.

1.1 As a consideration to FCIL for providing usable assets, towards opportunity cost, land use etc. FCIL shall be issued equity shares in phases, in proportion to the extent the other PSUs contribute equity shares towards the equity capital in cash, such that, over a period of time, the equity holding of the FCIL in JVC will be 11% of the equity portion of the capital expenditure of the project at the time of commencement of the commercial

हो जायेगी। वर्ष के दौरान आर.एफ.सी.एल. ने 10/- रूपये प्रत्येक 9,25,16,291 इक्विटी शेयर एफ.सी.आई.एल को जारी किये है।

1.2 कैबिनेट ने 13.07.2016 को सिन्दरी और गोरखपुर एककों को एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. और आई.ओ.सी. की एस. पी.वी./जे.वी. के द्वारा पुनर्जीवित करने की स्वीकृति दी है। एफ.सी.आई.एल. के चारो एककों/परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिये प्रति परियोजना 11 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जायेगी। बाकी इक्विटी एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. और आई.ओ.सी.एल. द्वारा मै. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एच.यू.आर.एल.) संयुक्त उद्यम द्वारा वहन की जायेगी।

1.3 गोरखपुर में पुराने संयंत्र के पिनटान का कार्य प्रारम्भ हो गया है ताकि क्षेत्र को साफ कर हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एच.यू.आर.एल.) को नया संयंत्र लगाने के लिए उपलब्ध कराया जा सके। वित्त वर्ष 2016-17 में पी.डी.आई.एल. की सहायता से मै. एम.एस.टी.सी. द्वारा पुराने प्लांट की ई. निलामी के माधयम से 5,877 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है।

1.4 एच.यू.आर.एल. ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी को प्राप्त करने की औपचारिकता पूरी कर ली है। पुनर्जीवित करने वाले संयुक्त उद्यम ने डिजाईन, खरीद, निर्माण और एल.एस.टी.के. पर आधारित यूरिया संयंत्र को लगाने के लिए प्रस्ताव पहले ही प्राप्त कर लिये हैं और एल.एस.टी.के. ठेकेदारों को सिंदरी और गोरखपुर एककों से आदेश दे दिये गये है।

1.5 एफ.सी.आई.एल. सिंदरी के अनुपयोगी परिसम्पत्ति का निपटान एम.एस.टी.सी. और पी.डी.आई.एल. की सहायता से ई. निलामी के माघ्यम से 18,500 लाख रूपये की कुल राशि पर मै. एम.टी.सी. बिजनेस प्राइवेट लि. द्वारा किया गया है और हमने अग्रिम के रूप में वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के 3712.60 लाख रूपये प्राप्त किये है।

production of the project. During the year RFCL has issued 9,25,16,291 equity shares of Rs.10 each to FCIL.

1.2 Cabinet has approved on 13.7.2016 the revival of Sindri and Gorakhpur Units by an SPV/JV amongst NTPC, CIL and IOC. FCIL would be provided 11% equity per project in the revival of the Units/projects. Balance equity would be held by NTPC, CIL & IOCL in the Joint Venture, namely, M/s. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL).

1.3 Disposal of old plant at Gorakhpur has been taken up to clear the area for providing it to Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd. (HURL) for setting up of a new plant. An amount of Rs.5,877 Lakhs has been realised on e-auction of the old plant by M/s MSTC with the assistance of PDIL in F.Y 2016-17.

1.4 HURL has completed the formalities for obtaining Environment Clearance from MOEF. The reviving Joint Venture has obtained offers for Design, Procurement, Erection and commissioning of the Urea plant on LSTK basis and placed orders on LSTK contractors from Sindri & Gorakhpur Units.

1.5 Disposal of unusable assets of FCIL Sindri was carried out with the help of MSTC and PDIL through E-auction for a total consideration of Rs.18,500.00 Lakhs to M/s. MTC Business Pvt Ltd., for which we have received the first instalment as advance of Rs.3,712.60 Lakhs during the year 2017-18.

2. तीनों नामित सरकारी उद्यमों, सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल. द्वारा दी जाने वाली प्रतिबद्धता फीस की स्थिति

i. एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के 833.00 लाख रूपये प्रत्येक के भुगतान के संबंध में तीनों कम्पनियों से निवेदन किया गया था।

ii. सी.सी.ई.ए. द्वारा 9.5.2013 के अनुमोदन के अनुसार पहले एफ.सी.आई.एल. ने तीनों सरकारी उद्यमों से प्रतिबद्धता फीस के भुगतान करने के लिये निवेदन किया था और उसी कारण इस राशि को एफ.सी.आई.एल. के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों में प्राप्ति योग्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

iii. ई.आई.एल. ने 25.6.2013 को संदेश दिया था कि उनके बोर्ड ने एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के 833.00 लाख रूपये देने की स्वीकृति दे दी है। चूँकि अदायगी नही हो रही थी अत: सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी. से बात की जिससे ई.आई.एल. पर दबाव डाला जा सके ताकि वह भुगतान कर दे।

एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने ई.आई.एल. के अ.प्र.नि. को 17.4.2014 के पत्र द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रयास किया है और उसके बाद 15.07.2015 और 9.3.2016 को ई.आई.एल. को स्मरण पत्र भेजा है।

iv. चूँकि सी.आई.एल. से अदायगी नही हो रही थी अत: सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (कोयला) से प्रतिबद्धता फीस एफ.सी.आई.एल. को भुगतान के लिये बात की जिससे सी.आई.एल. पर दबाव डाला जाये। सलाहकार (कोयला) ने 13.5.2014 को सूचित किया कि सी.आई.एल. बोर्ड ने अपनी 306 वीं बैठक में एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है।

2. Status of commitment fee to be paid by the three nominated PSUs namely SAIL, CIL & EIL

i) As regards to payment of commitment fee by the three PSU's, they were requested to pay Rs.833.00 Lakh each to FCIL.

ii) Earlier FCIL made a request to three PSUs to release the commitment fee as approved by CCEA on 09.05.2013 as the amount has been shown as receivable income in the books of FCIL in the annual accounts for the year 2012 -13.

iii) EIL communicated on 26.05.2013 that their Board has approved the payment of Rs.833.00 Lakh to FCIL as commitment fee. Since that payment was not forth coming, Secretary (F) took up the matter on 7.03.2014 with Secretary MOPNG to impress upon EIL to release the payment.

CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 17.04.2014 with CMD EIL. Further, reminders to EIL on 15.07.2015 & 09.03.2016 were sent.

iv) Since payment from CIL was not forthcoming, Secretary (F) took up the matter on 07.03.2014 with Secretary (Coal) to impress upon CIL to pay the commitment fee to FCIL. Advisor (Coal) informed on 13.05.2014 that CIL Board has approved the payment of commitment fee to FCIL in their 306th meeting.

जैसा कि सेल सिन्दरी एकक को पुनर्जीवित करने के कार्य को वापस हो गया है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20.5.2015 को सिन्दरी एकक को बिडिंग रूट से पुनर्जीवित करने के लिये अनुमोदन किया है, सेल से मिलने वाले 834.00 लाख रूपये को वर्ष 2014-15 में वापस ले लिया गया है।

Rs.834.00 Lakh receivable from SAIL has been withdrawn during the year 2014-15 as SAIL has withdrawn from revival of Sindri Unit and Union Cabinet has approved revival of Sindri Unit through "bidding route" on 20.05.2015.

वर्ष 2013 में सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के अनुसार ई.आई.एल. और सी.आई.एल. ने प्रतिबद्धता शुल्क के 16.66 करोड़ रूपये का भुगतान नही किया है और तब से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। सी.ए.जी. की टिप्पणी पर विचार करते हुए वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने लेखा बही से 16.66 करोड़ रूपये को हटा दिया है।

EIL and CIL have not released the commitment fee of Rs.16.66 crore as approved by CCEA in the year 2013 and more than 3 years have lapsed since then. Further, considering the observation of CAG, the Company has withdrawn Rs.16.66 crore from the books of account during the year 2016-17.

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

1. कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखंड) सरकार से नि:शुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, अनुमानित मूल्य 14.11 लाख रूपये लगाया गया है।

2. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ.सी.आई. एल. द्वारा अर्जित किया गया है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरूज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से सुविधा पत्र माँगा है।

3. सरकार लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार

C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

1. Out of total land of 6652.61 acres, 112 acres received from Government of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been valued at Rs.14.11 Lakh at notional value as per the guidelines of Department of Public Enterprises.

2. Land measuring 907 acres at Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Government. In addition, 29 acres of free hold and 7 acres of private land was acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh Electricity Board without obtaining permission from the company/DoF. Vide DO NO. 18021/02/2005-FCI dated 25.11.2011, DoF sought a letter of comfort from the Government of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.

3. As per the guidelines of Government Department of Public Enterprises, land

से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।

normally (notionally) valued at Rs. 18.64 Lakhs received free of cost from Government of Odisha was taken into books through capital reserve value.

4. तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।

4. At Talcher Unit, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344 quarters received from HWP under mutually agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.

5. तलचर में एफ.सी.आई.एल की 933.60 एकड़ भूमि है जो कि राज्य सरकार से वर्ष 1971 और 1979 के बीच प्राप्त हुई है।

5. At Talcher Unit, FCIL has 933.60 acres land which was received from State Government between 1971 and 1979.

6. गोरखपुर एकक में कम्पनी को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान कम्पनी द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।

6. At Gorakhpur Unit, Government of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project. Out of which 40% of acquisition cost valued at Rs.21.78 Lakh had been paid to the Government by Company and the balance 60% valued at Rs.32.67 Lakh was given by the State Government.

7. डी ओ एफ और एम एच ए के बीच हुऐ दिनांक 5.2.2014 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर एकक में कुछ भवन और मकान सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को दिये थे। जैसा कि डी.ओ.एफ. और एम.एच.ए. के बीच समझौता हुआ था, यूनिट के मै. एच.यू.आर.एल. द्वारा पुनर्जीवन को ध्यान में रखते हुये एस.एस.बी. को लगभग 124 एकड़ में समायोजित करने की सलाह दी गयी है।

7. Certain buildings and quarters have been given to Sashatra Seema Bal (SSB) in terms of MOU dated 5.2.2004 between DOF and MHA. Considering the requirement of revival of the unit by M/s HURL, SSB has been advised to accomodate themselves in an area of around 124 acres as was agreed between DOF and MHA.

8. रामागुण्डम एकक में 1971 से 1989 तक के वर्षो में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई है और इसका कल्पित मूल्य 4.59 लाख रूपये है। लोक उद्यम विभाग के दिशा निदेश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है।

8. At Ramagundam Unit, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Government is free of cost and notionally valued at Rs.4.59 Lakh. As per guidelines of DPE an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve.

9. नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लाट का आबंटन किया गया था। यह प्लाट ए-11, सैक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है।

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

1. चालू देयताओं में उन 4 कर्मचारियों (पिछले वर्ष 6 कर्मचारी) के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 96.56 लाख रुपये (पिछले वर्ष 92.09 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें आवश्यक कार्यो के कारण 31.03.2018 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2018 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।

2. अन्य ट्रेड देय में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगातन के संबंध में है।

ङ निवेश

1. केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार सिंदरी, गोरखपुर रामागुण्डम और तलचर के पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित निवेश किय है:-

वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने मैसर्स रामागुण्डम फार्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.), रामागुण्डम को 1.00 लाख रूपये का भुगतान कर 10,000 इक्विटी शेयर में निवेश किया है और कम्पनी को 10 रूपये प्रत्येक के 10,000 इक्विटी शेयर आवंटित किये गये है शेयर सर्टीफिकेट प्राप्त हो गये है। फैसिलिटी एरिया (रामागुण्डम में लगभग 1284 एकड़ भूमि) के संबंध में आर.एफ.सी.एल. को अधिकार और सुविधा के लिये मार्च

9. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL by NOIDA Authority on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

1. Current liability includes an amount of Rs.96.56 Lakhs (previous year Rs.92.09 Lakhs) in respect of VSS compensation for 04 employees (previous year 06 employees), whose request for VSS has been accepted but they have not been released till 31.03.2018 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2018 will be accounted for after release of these employees.

2. Other trade payables include a non-accepted amount of Rs.5.23 Lakh in respect of payment by cheque towards Gratuity and Earned Leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

E. INVESTMENTS

1. As part of Cabinet approval for the revival of Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher, following investments are made:-

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs.1.00 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10/- each. 10,000 equity shares have been allotted to the Company and Share Certificates have been received. The company has entered into a Concession Agreement with RFCL on 23rd March 2016

23, 2016 में कम्पनी ने आर.एफ.सी.एल. के साथ कन्सेसन समझौता किया है।

towards the rights and concessions to RFCL with regard to facility area (land measuring approx. 1284 acre at Ramagundam).

2. वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने 0.50 लाख रूपये तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड) में निवेश किये हैं और 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रूपये के प्राप्त हुये है।

2. During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd.") and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

3. वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने 1,66,670/- रूपये हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) में 10/- रूपये प्रत्येक के 16,667 इक्विटी शेयर में निवेश किये है। कम्पनी ने शेयर शर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हैं।

3. During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs.1,66,670/- in Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs10/- each. The share certificates have been received by the company.

4. रामागुण्डम में आर.एफ.सी.एल. को भूमि पर कन्सेसनल अधिकार, अवसर लागत तथा उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति की कीमत तथा अन्य मदों को उपलब्ध कराने के बदले में कम्पनी ने वर्ष 2017-18 में 11प्रतिशत इक्विटी धारण के 10/- रूपये प्रत्येक के 9,25,16,291 शेयर प्राप्त किये हैं। शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गये है।

बाकी शेयर चरणबद्ध तरीके से एन.एफ.एल. और ई.आई.एल. से प्राप्त योगदान के अनुपात में जारी किये जायेंगे।

4. During the year 2017-18 the Company has received 9,25,16,291 shares of Rs.10/- each towards holding progressively 11% equity in consideration of granting concessional rights in the land, opportunity cost and value of usable assets and other items on the land at Ramagundam to RFCL. The share certificate has been received.

Remaining shares shall be issued in a phased manner, in proportion to contribution received from NFL and EIL in future.

च. विविध

1. निदेशक मंडल की राय मे सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।

2. चूकि कम्पनी में पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में उत्पादन प्रचालन नही हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014, दिनांक

F. MISCELLANEOUS

1. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.

2. Since, Company did not have manufacturing operation during the financial year 2016-17, i.e., immediate preceding financial year, therefore as per "Companies (Cost Records & Audit) amendment Rules 2014" dated

31.12.2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में लागत रिकार्ड को रखना आवश्यक नहीं है।

31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2017-18.

3.क. प्रोजेक्ट एण्ड डवलपमेंट इण्डिया लि. (पी.डी.आई.एल.) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि. (एच.यू.आर.एल.) तथा रामागुण्डम फर्टिलाइजर एवं कैमिकल्स लि. (आर.एफ.सी.एल.) सहित ट्रेड से प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियो के भुगतान, ट्रेड देय तथा अन्य के बकाया की पुष्टि नहीं हुई है। यदि लेखा में कोई विसंगति हुई तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. a) Balances of Trade receivable, payables of Ex-employees, Trade payables and others including Projects and Development India Limited (PDIL), Hindustan Urvarak and Rasayan Limited (HURL) and Ramagundam Fertilizer and Chemicals Limited (RFCL) are unconfirmed. Discrepancies, if any, on this account are not ascertainable.

ख. पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया के 27.40 लाख रूपये (पिछले वर्ष 37.37 लाख रूपये) अप्रैल 2014 से पुष्टि और मिलान होने पर निर्भर करता है। साथ ही सिन्दरी एकक में एफ.सी.आई.एल. की भूमि पर पी.डी.आई.एल. द्वारा कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाये गये थे और इनमे से कुछ स्टाफ क्वार्टर एफ.सी.आई.एल. द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं और पी.डी.आई.एल. को इन क्वार्टरों का देय किराया के विषय में अभी समझौता होना है।

b) Balance of Rs.27.40 Lakh (Previous year Rs.37.37 lakh) receivable from PDIL is subject to confirmation and reconciliation since April, 2014. Further, in Sindri Unit, certain staff quarters were built by PDIL on the land owned by the FCIL and some of these staff quarters were used by FCIL and the matter of rent payable to PDIL for these quarters is yet to be settled with PDIL.

4. बिक्री कर का निर्धारण (उनको छोड़कर जो अपील में लंबित हैं) 2015-16 तक पूरा कर लिया गया है।

4. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to 2015-16.

5. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2016-17 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक के लिये आयकर विभाग ने प्रथम अपील प्राधिकारी के आर्डर पर आई.टी.ए.टी. के पास अपील की है।

5. The Corporate Assessment is completed up to assessment year 2016-17. The Income Tax Department is in appeal against the 1st Appellate Authority order in ITAT for the AY 2002-03 to AY 2012-13.

6. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी. एस.एस. के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी.आई. एफ. आर. द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के संस्तुति के अंतर्गत सी.सी.ई.ए. के दिनांक 4.8.2011 तथा 9.5.2013 की अनुमति के अनुसार तथा कैबिनेट के दिनांक 13.7.2016 के निर्णय के अनुसार एफ.सी.आई.एल. के सभी एकको को नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुनर्जीवित किया

6. In view of GoI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, all units remained non-operational. Subsequently, with the approval of CCEA dated 4.8.2011 and 9.5.2013 and the decision of the Cabinet dated 13.7.2016, all the units of FCIL are being revived by

जा रहा है तथा सभी एककों के पुराने अपुनयोगी प्लांटों का निपटान कर दिया गया है/किया जा रहा है। सभी इकाइयाँ अप्रचलन में रही हैं अत: वर्ष में केन्द्रीय कार्यालय को छोड़कर स्थायी परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

'nominated PSUs' and old unusable plants of all the Units are disposed/ under disposal. Therefore, physical verification of fixed assets & inventories could not be carried out, except at Central Office.

7. कोई प्रचलन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण नहीं किया है।

7. In the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

8. **उपयोग में हो सकने वाली परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (प्लांटों को छोड़ कर)**

तलचर एवं रामागुण्डम एकाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले लिया गया है। तलचर और रामगुण्डम एककों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमश: अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है।

8. **Assets Revaluation of usable assets (except 'Plants')**

In Talcher and Ramagundam Units the effect of revaluation of fixed assets has been taken in the financial books in the financial year 2014-15. The revaluation of usable fixed assets was made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talcher and, Ramagundam Units respectively.

9. संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार कम्पनी ने (क) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (ख) तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड और (ग) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में निवेश किया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसार यदि उसके एक या अधिक सहयोगी हैं जिसमे सहायक कम्पनी और संयुक्त उद्यम सम्मिलित हैं तो कम्पनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। इन निवेशक कम्पनियों ने अपने स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किये हैं और इसी लिए अन्य संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को भी अपने वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार करने होंगे।

9. The Company has made investments in Companies namely a) Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited, b) Talchar Fertilizers Limited and c) Hindustan Urvarak and Rasayan Limited as per the Joint Venture Agreements. Section 129(3) of the Companies Act, 2013, requires a Company to prepare Consolidated Financial Statements, if it has one or more subsidiaries, which include associate company and joint venture. These investee Companies have prepared their Standalone Financial Statements as per Ind AS and therefore the other jointly controlled entities would also have to prepare its Financial Statements as per Ind AS.

कानूनी राय के आधार पर कम्पनी का विचार है कि कम्पनी का कम्पनियों में निवेश, जैसा कि लेखा मानक

The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in

ए एस-27 में प्रावधान है ''संयुक्त उद्यम में ब्याज का वित्तीय रिपोर्टिंग'', ''संयुक्त उद्यम'' की परिभावषा के अंतर्गत नही आता है क्योंकि कम्पनी उपर्युक्त कम्पनियों के आर्थिक कार्यकलापों पर संयुक्त नियंत्रण का उपयोग नही करती है। अत: कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत, इसे कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़ा जाये, अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकता के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

10. वर्ष 2001 में आई.ई.एल., एफ.सी.आई.एल. और बी.सी.सी.एल. के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते मे और/या व्यवस्था की गई थी जिसमें बी.सी.सी.एल. द्वारा एफ.सी.आई.एल. को कोयला की आपूर्ति करनी थी और इसके बदले में एफ.सी.आई.एल. द्वारा आई.ई.एल. को उसी कीमत का अमोनियम नाइट्रेड (ए एन) की आपूर्ति करनी थी और आई.ई.एल. द्वारा बी.सी.सी.एल. को उसी कीमत के बराबर विस्फोटक की आपूर्ति करनी थी। वर्ष 2002 में प्लांट में ब्रेकडाउन के कारण एफ.सी.आई.एल. द्वारा आई.ई.एल को आपूर्ति नहीं हो सकी और आई.ई.एल. ने 527.62 लाख रूपये का (420.41 लाख रूपये मूल के तथा 107.20 लाख रूपये 18 प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज के दिसम्बर 2001 से अप्रैल 2003 तक) डिकलरेशन का सूट, स्थाई इन्जक्शन और रिकवरी का सूट अलीपोर न्यायालय में फाइल कर दिया था।

अलीपोर न्यायालय ने 3.3.2009 को आदेश 12, नियम 6 के अंतर्गत सी पी ने घोषणा, वसूली और स्थाई इन्जंशन की डिक्री को पारित कर दिया। डिकरेटल राशि के 527.62 लाख रूपये सहित जब तक भुगतान की प्राप्ति न हो जाये, भविष्य के 12 प्रतिशत ब्याज की अनुमति दी गई। उर्पयुक्त 3.3.2009 के आदेश पर हमारी अपील को (डिकरेटल राशि) 527.62 लाख रूपये कोलकत्ता उच्च न्यायालय में जमा करने के पश्चात सुना

Companies does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Accounting Standard AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures' as the Company does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 and also have prepared its Standalone Financial Statements as per requirements of the notified accounting standards under Section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

10. In 2001, a tripartite deal and/or arrangement was entered amongst IEL, FCIL and BCCL in which BCCL was to supply coal to FCIL, FCIL in turn to supply Ammonium Nitrate (AN) to IEL of equivalent value and IEL was to supply explosives to BCCL equivalent to the same value. Owing to breakdown in the plant in the year 2002, FCIL could not supply AN to IEL and IEL filed a suit for declaration, permanent injunction and recovery of Rs.527.62 Lakhs (Rs.420.41 Lakhs principal amount plus Rs.107.20 Lakhs interest @ 18% w.e.f. December 2001 to April 2003) before Alipore Court.

On 3.3.2009, the Alipore court under Order 12 Rule 6, CPC passed the decree of declaration, recovery and permanent injunction. Recovery of decretal amount of Rs.527.62 Lakhs was allowed with future interest @ 12% till realisation. Our appeal against the above order dated 3.3.2009 was heard in the Calcutta High Court after deposit of Rs.527.62 Lakhs (the decretal amount).

गया। इस राशि को निष्पादन न्यायालय के समक्ष जमा कराया गया जिसे आई.ई.एल. को निकालने की अनुमति दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई की और दिनांक 30.3.2016 के आदेश में एफ.सी.आई.एल. की अपील को खारिज कर दिया लेकिन 12 प्रतिशत ब्याज को घटा कर 9 प्रतिशत कर दिया जो कि लगभग 522 लाख रूपये बनती है, इसका वर्ष 2016-17 के लेखों में प्रावधान किया गया है। और वित्त वर्ष 2017-18 में सी.ए.जी. के दिशा निर्देश के अनुसार 81.64 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

This amount was deposited before Execution Court which was allowed to be withdrawn by the IEL. High Court, Kolkata heard the appeal and vide order dated 30.3.2016, dismissed FCIL appeal but the 12% interest was reduced to 9%, which approximately comes to Rs.522.00 Lakhs, provision has been made in the books of account in FY 2016-17 and during the year FY 2017-18, Rs. 81.64 Lakhs has been provided as per the CAG direction.

एफ.सी.आई.एल. ने उच्च न्यायालय के उर्पयुक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 17188 के अंतर्गत चुनौती दी है, जो कि लेखों को अंतिम रूप से तैयार करने तक लंबित है। तत्पश्चात कम्पनी द्वारा न्यायालय में जमा किये गये और पार्टी द्वारा निकाल लिये गये 527.62 लाख रूपये को सी.ए.जी. की संस्तुति के अनुसार वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है।

FCIL has challenged the above High Court Order in Supreme Court vide SLP No.17188, which is pending till the date of finalisation of accounts. Further as per CAG recommendation an amount of Rs. 527.62 Lakhs deposited by the company with the Court and withdrawn by the party has been written off during the year.

छ. संबंधित पार्टी विवरण

(i) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

1) श्री सुशील कुमार लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 01.07.2014 से 22.02.2018 तक।

2) श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 22.02.2018 से अब तक।

3) डा. कविता गोटरू, निदेशक (वित्त), 30.9.2016 से 04.10.2017 तक।

4) श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त), 04.10.2017 से अब तक।

5) श्री डी. पी. श्रीवास्तव, निदेशक, 14.01.2016 से अब तक।

6) श्री अनिल कुमार वी.पाटिल, निदेशक, 08.9.2016 से अब तक।

G. RELATED PARTY DISCLOSURES

(I) Key Management Personnel:

1) Shri Sushil Kumar Lohani, Chairman & Managing Director, 01.07.2014 to 22.02.2018

2) Shri Dharam Pal, Chairman & Managing Director 22.02.2018 till date

3) Dr. Kavitha Gotru, Director(Finance) 30.09.2016 to 04.10.2017

4) Shri Niranjan Lal, Director (Finance) 04.10.2017 till date

5) Shri D.P. Srivastava, Director 14.01.2016 till date

6) Shri Anilkumar V Patil, Director 08.09.2016 till date

(II) संयुक्त उद्यम कम्पनी

1) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
2) तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड)
3) हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

ज. खण्डीय प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

झ. आय पर कर

सरकार द्वारा निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, इस कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भावी कर योग्य लाभ के आभासी अनिश्चितता के अभाव में मैट क्रैडिट/पात्रता को लेखों में नहीं लिया गया है।

ञ. प्रावधान में बदलाव

(लाख रूपये

अनुबंधक दायित्व और कानूनी मामले	2017-18	2016-17
प्रारम्भिक	522.44	शून्य
जोड़ें	81.65	522.44
निकासी/समायोजना	शून्य	शून्य
अंतिम बकाया	604.09	522.44

(II) Joint Venture Companies

1) Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited
2) Talcher Fertilizers Limited (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizers Ltd)
3) Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

H. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the Company during the year or in previous year, there are no separate segments to be reported.

I. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no virtual certainty of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, notified under Section133 of the Companies Act, 2013.

MAT credit/ entitlement has not been recognised in the books of accounts due to absence of virtual certainty of future taxable profit as stated above.

J. MOVEMENT IN PROVISIONS

(Rs. in Lakhs)

Contractual obligation and Legal cases	2017-18	2016-17
Opening	522.44	NIL
Additions	81.65	522.44
Withdrawal/adjustment	NIL	NIL
Closing Balance	604.09	522.44

(लाख रूपये)

अन्य, ऋण एवं अग्रिम एवं वस्तुसूची	2017-18	2016-17
प्रारम्भिक	5499.09	6039.11
वर्ष के दौरान बढ़त	63.57	164.41
वर्ष के दौरान निकासी/समायोजन	99.82	704.43
अंतिम बकाया	5462.84	5499.09

(Rs. in Lakhs)

Others, Debts & advances & Inventory	2017-18	2016-17
Opening	5499.09	6039.11
Additions during the year	63.57	164.41
Withdrawal/adjustment during the year	99.82	704.43
Closing Balance	5462.84	5499.09

ट. प्रति शेयर अर्जन

प्रतिशेयर बेसिक अर्जन जो कि प्रति शेयर अर्जन से संबंधित है को लेखा मानक-20 के अनुसार रिपोर्ट किया गया है जिसकी गणना कर के बाद निवल लाभ को उस अवधि में बकाया कुल भारित औसत शेयर में से विभाजित करके प्राप्त किया गया है जो कि इस प्रकार है:

	2017-18	2016-17
इक्विटी शेयर धारक को देय वर्ष का निवल लाभ (लाख रूपये)	11,395.39	3,009.57
शेयरों की संख्या	75,09,239	75,09,239
प्रति शेयर संकेतिक मूल्य (रूपये में)	1,000	1,000
प्रति शेयर अर्जन:		
मूल (रूपयों में) :	(+) 151.75	(+)40.08
द्रवीय (रूपयों में) :	(+)151.75	(+)40.08

K. EARNING PER SHARE

Basic Earning Per Share has been reported as per Accounting Standard-20 relating to "Earning Per Share", which has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:

	2017-18	2016-17
Net profit for the year attributable to Equity shareholder (Rs.in Lakh)	11,395.39	3,009.57
No. Of Shares	75,09,239	75,09,239
Nominal Value per share (In Rs.)	1,000	1,000
Earnings per Share :		
Basic (In Rs.):	(+) 151.75	(+)40.08
Diluted (In Rs.) :	(+)151.75	(+)40.08

ठ. अतिरिक्त सूचनाएँ

	31.3.2018 को	31.3.2017 को
सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
कच्चे माल की खपत	शून्य	शून्य
स्टोर एवं स्पेयर्स की खपत	शून्य	शून्य

ड. परियोजना के वित्त पोषण, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, विकास, संचालन और रखरखाव के लिए कंपनी ने सुविधा क्षेत्र (लगभग 1284 एकड़ भूमि) के संबंध में रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को अधिकार और सुविधा प्रदान करने के लिए 23 मार्च 2016 को आर.एफ.सी.एल. के साथ सुविधा समझौता किया है। सुविधा समझौता की शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधा अनुबंध को समझौता के अनुलग्नक में दे दिया है।

सुविधा समझौता के अनुसार सुविधा अवधि 99 वर्ष की है जिसके लागू होने का दिनांक 25 सितम्बर 2015 है। सुविधा को कार्यरूप देने के लिए प्रभावी दिनांक से आर.एफ.सी.एल. पर लागू होने योग्य है और कंपनी ने सुविधा समझौते के निष्पादन और लीज डीड सहित शर्तों के साथ पालन किया है और सुविधा समझौता के अनुसार लीज डीड का पालन किया है। आर.एफ.सी.एल. ने परियोजना के निर्माण का कार्य उपर्युक्त सुविधा क्षेत्र के एक भाग में पहले से ही प्रारम्भ कर दिया है। तथापि शर्तों का पालन और सुविधा समझौता का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है और इसी वित्त वर्ष के दौरान

L. ADDITIONAL INFORMATION

	As on 31.3.2018	As on 31.3.2017
Value of Import on CIF basis	Nil	Nil
Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
Raw Materials Consumption	Nil	Nil
Store and Spares Consumption	Nil	Nil

M. The Company entered into a concession agreement with Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited (RFCL) on 23rd March, 2016 towards grant of right and concessional to RFCL with regard to facility area (Land measuring approximately 1284 acres) for financing, designing, engineering, procurement, construction, development, operation and maintenance of the project. The facility to be given by the Company as per terms of Concession Agreeement is given in the Annexure to the Agreement.

As per the Concession Agreement, the concession period is of 99 years commencing from the effective date i.e. 25th September, 2015. The concession is exercisable from the effective date upon RFCL and the company having complied with the conditions precedent including execution of Concession Agreement and including Lease Deed as per the Concession Agreement. RFCL has already started its project construction activity on a part of aforesaid facility area. However, compliance of the conditions and execution of the Concession Agreement has been completed

कार्यान्वित किया गया है और इस प्रकार 25 सितम्बर 2015 से 31 मार्च 2018 तक के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने पट्टे का किराया लगाया है।

सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने भूमि सहित सभी स्थायी परिसम्पत्तियों को आर.एफ.सी.एल. को पूर्णतः हस्तांतरित कर दिया है। सुविधा समझौता और दिनांक 4.8.2011 तथा 9.5.2013 के सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति के अनुसार आर.एफ.सी.एल., परियोजना के पूंजी व्यय के इक्विटी भाग का 11 प्रतिशत इक्विटी शेयर परियोजना द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक जारी करना होगा। इसी आधार पर वर्ष के दौरान आर.एफ.सी.एल. ने 10 रूपये प्रत्येक के 9,25,16,291 इक्विटी शेयर (92,51,62,910 रूपये) एफ.सी.आई.एल. को जारी किये हैं। कंपनी ने इसे चालू व्यय नहीं के अंतर्गत दर्शाया है। बकाया 5197.64 लाख रूपये के इक्विटी शेयर जो कि परियोजना के पूँजी व्यय के इक्विटी भाग का 11 प्रतिशत के अनुसार परियोजना द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक जो कि इसके अन्य प्रमोटरों से इक्विटी पूँजी राशि के प्राप्त होने के पश्चात आर.एफ.सी.एल. द्वारा जारी किया जायेगा और कंपनी द्वारा इसे ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ढ. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन/वर्गीकृत कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

and executed during the current financial year and accordingly lease rental for the period from 25th September 2015 to 31st March, 2018 has been recognised by the Company during the current financial year.

During the year, the Company completety handed over the balance fixed assets including Land to RFCL pursuant to signing of the Concession Agreement. In terms of CCEA approval dated 4.8.2011 and 9.5.2013 and the Concession Agreement, RFCL has to issue equity shares of RFCL equal to 11% of equity portion of the capital expenditure of the project by the time of commencement of commercial production of the project. Accordingly, during the year, RFCL has issued 9,25,16,291 number of equity shares of Rs. 10/- each (i.e. Rs. 92,51,62,910/-) to FCIL. The Company has shown it under non current investments. The balance equity shares of Rs.5197.64 lakhs to be issued as per 11% of equity portion of the capital expenditure of the project by the time of commencement of commercial production of the project shall be issued by RFCL as and when on receipt of equity capital amount from its other promoters and has been shown under the loan and advances by the company.

N. Previous year's figures have been regrouped / re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च, 2018 तक समाप्त वर्ष के के लिये)
CASH FLOW STATEMENT
(For the year ended 31st March, 2018)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2108 को As at 31.03.2108	31.03.2107 को As at 31.03.2107
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :	A. Cash Flow from Operating Activities :		
कर से पूर्व निवल लाभ	Net Profit before Tax	14527.02	3479.78
समायोजन के लिये :	Adjustment for :-		
मूल्यह्रास, पूर्व अवधि के मूल्यह्रास सहित	Depreciation including deprecation of prior period	12.04	11.71
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	197.66	31.05
ब्याज से आय	Interest Income	(2215.91)	(2085.94)
स्थायी परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Fixed Assets	(125.60)	(5,308.97)
संदिग्ध वसूली योग्य के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Recovery	-	99.00
असाधारण आय - सुविधा अधिकार का हस्तांतरण	Exceptional Income - Transfer of Concession Right	(14,449.27)	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provision for Bad Debts	63.57	65.42
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	Operating Profit before working Capital Change	(1,990.49)	(3,707.95)
कार्यरत पूंजी में गतिविधि-	Movements in Working Capital-		
ट्रेड देय में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in Trade Payables	(10.25)	(1,762.29)
प्रावधान में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in Provisions	120.81	90.29
दीर्घ अवधि देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) Long Term Liabilities	47.65	51.45
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in Other Current Liabilities	122.74	54.18
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत) (आरएफसीएल)	Increase/(decrease) in Other Current Liabilities (RFCL)	-	-
ट्रेड प्राप्त होने योग्य में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in Trade Receivables	(63.28)	(66.04)
वस्तुसूचियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in Inventories	-	189.15
ऋण एवं अग्रिम में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in Loans and Advances	461.34	(103.87)
अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नही हैं में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in Other Non-current Assets	53.00	1,716.05

(जारी)/Continued

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च, 2018 तक समाप्त वर्ष के के लिये) (जारी)
CASH FLOW STATEMENT (Continued)
(For the year ended 31st March, 2018)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

			31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in Other Current Assets	(17.35)	444.05
	प्रचालन से उपलब्ध की गयी नगदी	Cash generated from operations	-1275.83	(3,095.00)
	घटाएं : भुगतान किया गया आय कर	Less : Income Tax paid	(721.37)	216.14
	प्रचालन गतिविधियों (प्रयुक्त) से निवल नगद प्रवाह (क)	**Net Cash flow from/(used in) operating activities (A)**	(1,997.20)	(2,878.84)
ख.	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**	**B. Cash Flow from Investing Activities**		
	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	Proceeds from Sale of Fixed Assets	131.11	5,662.22
	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(5.20)	(2.48)
	निवेश जो चालू नहीं है की खरीद	Purchase of Non Current Investment	-	(1.67)
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त अग्रिम	Advance Received Against Sale of Assets	3,712.60	-
	बैंक जमा में निवेश, निवल को छुड़ाना (जिनकी मूल परिपक्वता तीन महीने से अधिक की है लेकिन 12 महीने से कम है)।	Investments in Bank Deposits net of redemption (having original maturity of more than three months but less than 12 months)	(3,418.54)	(4,861.51)
	प्राप्त ब्याज	Interest Received	2,215.91	2,085.94
	निवेश गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह (प्रयुक्त) (ख)	**Net Cash Flow from/(used in) Investing Activities (B)**	2,635.88	2,882.50
	वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह:	Cash Flow from Financing Activities :		
	ब्याज खर्चे	Interest Expenses	(51.06)	(31.05)
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह/(प्रयुक्त)**	**C. Net Cash Flow from/(used in) Financing Activities**	(51.06)	(31.05)
	वर्ष के प्रारंभ में नगद और नगद के बराबर निवल बढ़त/(घटत) (क+ख+ग)	Net increase/(decrease) in cash & Cash Equivalent (A+B+C)	587.62	(27.39)
	वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नगद के बराबर	Cash & Cash Equivalent at beginning of the year	1,174.68	1,202.07
	वर्ष के अंत में नकद एवं नगद के बराबर	Cash & Cash Equivalent at the end of the year	1,762.30	1,174.68

(जारी)/Continued

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च, 2018 तक समाप्त वर्ष के के लिये) (जारी)
CASH FLOW STATEMENT (Continued)
(For the year ended 31st March, 2018)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2018 को As at 31.03.2018	31.03.2017 को As at 31.03.2017
नगद प्रवाह विवरण पर टिप्पणी	Notes to Cash Flow Statement		
नगद एवं नगद के बराबर के भाग	Components of cash and cash equivalents -		
नगद हाथ में	Cash in Hand	5.27	3.17
बैंक में बकाया:	Balance with Bank:		
चालू खाता में	On Current Account	680.93	136.41
जमा खाता में	On Deposit Account	1,076.10	1,035.10
कुल नगद एवं नगद के बराबर (नोट 11)	Total Cash and Cash Equivalents (Note 11)	1,762.30	1,174.68

उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण को लेखा मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।
The above cash flow statement has been prepared under the indirect method set out in Accounting Standard-3.
यह हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह है।
This is the Cash Flow referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(डी.पी. श्रीवास्तव)/(D.P. Srivastava)
निदेशक/Director
डिन/DIN - 06433221

ह०/- Sd/-
(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)
डिन/DIN - 07965269

ह०/- Sd/-
(धर्म पाल)/(Dharam Pal)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director
डिन/DIN - 02354549

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
सलाहकार/Advisor

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. एससीवी एण्ड कम्पनी एलएलपी
For M/s. SCV & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 000235 एन/एन500089
Firm Registration No. 000235N/N500089
ह०/- Sd/-
(राजीव पुरी)/(Rajiv Puri)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 084318

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 20.08.2018

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)

Printed at : Caxton Press, 2-E, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055, Mob. : 9818430022